बिहार सरकार

डॉ० प्रेम कुमार

माननीय सहकारिता मंत्री, बिहार

श्री नीतीश कुमार

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

सहकारिता विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन

2023 - 24

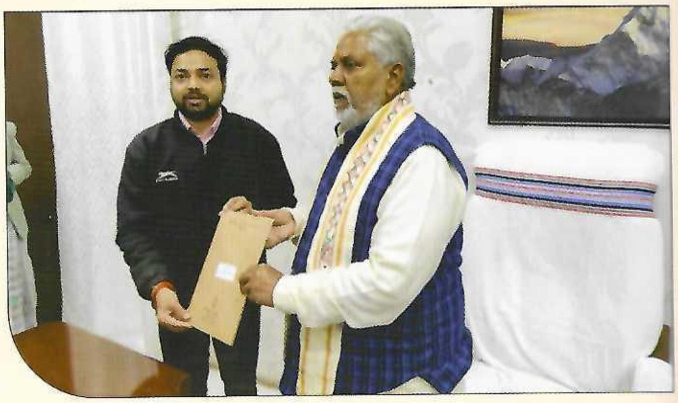

Shot on OnePlus

बिहार सरकार

डॉ० प्रेम कुमार
माननीय मंत्री,
सहकारिता विभाग,
बिहार ।

अपार हर्ष के साथ सहकारिता विभाग का वर्ष 2023–24 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ।

देश के विकास में बिहार राज्य के आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिहार के विकास में सहकारिता का महत्वपूर्ण योगदान है। सहकारिता विभाग किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए खेती के लिए आवश्यक खाद, बीज, कृषि उपकरण उचित मूल्य पर सहकारी समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराती है तथा उनके उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिप्राप्ति के माध्यम से उपलब्ध कराती है। भारत सरकार द्वारा अत्यन्त महत्वपूर्ण पहल करते हुए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। वर्ष 2023–24 में भारत सरकार द्वारा सहकारिता के विकास हेतु 54 प्रमुख आवश्यक पहल करते हुए सहकारी क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्त्तन लाने हेतु प्रयास किया जा रहा है। भारतीय संविधान के 97वें संविधान संशोधन" द्वारा देश के नागरिकों को सहकारी समिति के गठन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है और राज्यों को सहकारी समितियों के गठन एवं विकास का दायित्व सौंपा गया है। भारत सरकार के सहयोग से बिहार में जन औषधि केन्द्र, पेट्रोल/डीजल आउटलेट, कॉमन सर्विस सेन्टर, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र इत्यादि पैक्सों में स्थापित किये जा रहे है, जिससे रोजगार सृजन के साथ–साथ पैक्सों की आय में अपेक्षित वृद्धि होगी। सभी प्रकार के सहकारी समितियों का डाटा नेशनल कॉपरेटिव डाटा बेस पोर्टल पर संधारित किया गया है। वर्तमान समय में सहकारिता क्षेत्र में कृषि साख की उपलब्धता, कृषि उत्पाद के भंडारण की व्यवस्था, अधिप्राप्ति के माध्यम से कृषकों को उनके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाना, फसलों की क्षति होने पर बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत योग्य किसानों हेतु क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करना, पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना आदि विभाग के मुख्य कार्य है।

सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू 'प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) का कम्प्यूटरीकरण' योजना को सहकारिता विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 9581 दिनांक 30.11.2022 द्वारा राज्य में लागू किया गया है। योजनान्तर्गत राज्य में वर्तमान विद्यमान ग्राम पंचायत के सह अंतक सभी पैक्सों को चरणबद्ध रूप से वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2026–27 की अवधि में कम्प्यूटरीकृत करने हेतु केन्द्रांश के रूप में कुल 149.40 करोड़ रूपए एवं राज्यांश के रूप में 99.60 करोड़ रूपए अर्थात कुल 249.00 करोड़ रूपए व्यय किया जाएगा। प्रथम चरण में 4477 पैक्सों के कम्प्यूटरीकरण की कार्रवाई की जा रही है। भारत सरकार के सहयोग से निबंधक एवं जिला स्तरीय कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण भी किया जा रहा है।

विगत धान अधिप्राप्ति वर्ष 2022–23 में अधिप्राप्ति प्रक्रिया के सरलीकरण के पश्चात राज्य के इच्छुक किसानों खास कर लघु एवं सीमांत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ ससमय सुनिश्चित हुआ। राज्य का सांकेतिक लक्ष्य 45.00 लाख एम॰टी॰ के आलोक में निर्धारित समय–सीमा अंतर्गत 7210 समितियों द्वारा 5.77 लाख किसानों से 42.04 लाख एम॰टी॰ (93.44 प्रतिशत) धान की अधिप्राप्ति की गई है, जिसमें से रैयत 2.40 लाख किसानों

विषय - सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	विभाग की मुख्य उपलब्धियाँ	05
2	योजनायें एवं उपलब्धियाँ	08
	i. कृषि रोड मैप (2023–28)	08
	ii. अधिप्राप्ति	13
	iii. बिहार राज्य फसल सहायता योजना	15
	iv. सहकारी अधिसंरचना	17
	v. बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना,	19
	vi. समेकित सहकारी विकास परियोजना	21
	vii सहकार भवन	26
	viii. मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना	27
	ix वार्षिक योजना	28
	x. पैक्सों में व्यावसायिक विविधीकरण की योजनाएँ	29
	a. कॉमन सर्विस सेन्टर (Common Service Centre)	29
	b. पेट्रोल/ डीजल आउटलेट की स्थापना	30
	c. जन औषधि केन्द्र	30
	d. पैक्सों में प्रधानमंत्री कृषक समृद्धि केन्द्र की स्थापना	31
3	सहकारी कृषि साख संरचना एवं उपलब्धियाँ	32
	i अल्पकालीन सहकारी कृषि साख संरचना (त्रिस्तरीय ढ़ाँचा)	32
	ii. राज्य सहकारी बैंक लि०	34
	iii. केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०	35
	iv. प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (पैक्स)	37
	v. सहकारी ऋण वितरण	38
4	सहकारी समितियों का लेखा अंकेक्षण	39
5	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	41
6	महत्वपूर्ण सहकारी संस्थान	42
	i. सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र पूसा	42
	ii. प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार	42
	iii. व्यापार मंडल	42
7	बिहार राज्य भंडार निगम	43
8	सहकारिता विभाग में आई०टी० का समावेश	48
परिशिष्ठ– I	विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियाँ	51
परिशिष्ठ– II	राज्य में निबंधित सहकारी समितियों की संख्या	52
परिशिष्ठ– III	विभिन्न योजनान्तर्गत गोदाम निर्माण एवं गैसीफायर आधारित राईस मिल की स्थापना से सम्बन्धित प्रतिवेदन	53
परिशिष्ठ– IV	विभाग की सांगठनिक एवं प्रशासनिक संरचना	58
परिशिष्ठ– V	सहकारिता विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय	59

1. विभाग की मुख्य उपलब्धियाँ

क्र०सं०	योजना			
1.	अधिप्राप्ति			
	(क) खरीफ 2022–23 मौसम (धान)	7299 (चयनित) 7210 (कार्यशील) पैक्स / व्यापारमण्डल	42.04 लाख मे॰टन (5.77 लाख किसानों से)	
	(ख) रबी 2022–23 मौसम (गेहूँ)	4384 (चयनित) 144 (कार्यशील) पैक्स / व्यापारमण्डल	3519.89 लाख मे॰टन (641 किसानों से)	
	(ग) खरीफ 2023–24 मौसम (धान) (दिनांक 15.02.2024 तक)	7152 (चयनित) 6996 (कार्यशील) पैक्स / व्यापारमण्डल	30.80 लाख मे॰टन (3.73 लाख किसानों से)	
	(घ) रबी 2023–24 मौसम (गेहूँ)	4169 (चयनित) 137 (कार्यशील) पैक्स / व्यापारमण्डल	601.19 मे॰टन (235 किसानों से)	
2.	बिहार राज्य फसल सहायता योजना	निबंधित कृषकों की संख्या	लाभान्वित किसानों की संख्या	किसानों को भुगतान की गई राशि
	(क) बिहार राज्य फसल सहायता योजना (खरीफ 2022)	1664944	286536	296.83 करोड़ रुपये
	(ख) बिहार राज्य फसल सहायता योजना (रबी 2022–23)	1169128	भुगतान प्रक्रियाधीन	
	(ग) बिहार राज्य फसल सहायता योजना (खरीफ 2023)	1596922	भुगतान मार्च / अप्रैल 2024 में	
3.	बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना			
	बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना।	आच्छादन–20 जिले PVCS - 300 संघ–03 फेडरेशन–01	PVCS स्तर पर निर्माण–09 पूर्ण। तीनों संघ द्वारा (24.01.2024) सब्जी व्यवसाय में कुल टर्न ओवर– मात्रा–60226 मे॰टन राशि–106.31 करोड़ रु॰ E-commerce- 33593 ऑर्डर आपूर्त्ति।	
4.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना / राज्य योजना			
	(क) वर्ष 2020–21 में गोदाम निर्माण	लक्ष्य 750	128 पूर्ण (बैकलॉग सहित)	
	(ख) वर्ष 2020–21 में विद्युत आधारित (ड्रायर सहित) चावल मिल की स्थापना	लक्ष्य 30	26 पूर्ण (बैकलॉग सहित)	
	(ग) वर्ष 2021–22 में गोदाम निर्माण	लक्ष्य 750	277 पूर्ण (बैकलॉग सहित)	
	(घ) वर्ष 2021–22 में विद्युत आधारित (ड्रायर सहित) चावल मिल की स्थापना	लक्ष्य 30	05 पूर्ण (बैकलॉग सहित)	
	(ङ॰) वर्ष 2022–23 में गोदाम निर्माण	लक्ष्य 750	207 पूर्ण (बैकलॉग सहित)	
	(च) वर्ष 2023–24 में गोदाम निर्माण	लक्ष्य 750	113 पूर्ण (बैकलॉग सहित)	

5.	समेकित सहकारी विकास परियोजना		
	(क) पूर्व में कार्यान्वित जिले	गोपालगंज, मधुबनी, गया, सीतामढ़ी, आरा, छपरा, सीवान, कैमूर, खगड़ियां शिवहर, वैशाली नालन्दा, जहानाबाद एवं अररिया	24496.57 लाख रू० की लागत से।
	(ख) कार्यान्वित किये जा रहे जिले	मोतिहारी, औरंगाबाद, बेगूसराय, दरभंगा, बेतिया एवं पूर्णियाँ	48950.93 लाख रू० की लागत से।
6.	समेकित सहकारी विकास परियोजना की भौतिक उपलब्धि		
	(क) पैक्सों में गोदाम निर्माण (पूर्व में कार्यान्वित किये गये जिलों में)	1389	
	(ख) पैक्सों में गोदाम निर्माण (कार्यान्वित किये जा रहे जिलों में)	784 का कार्यादेश निर्गत, 729 पूर्ण, 55 निर्माणाधीन	
	(ग) व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण (पूर्व में कार्यान्वित किये गये जिलों में)	93	
	(घ) व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण (कार्यान्वित किये जा रहे जिलों में)	31 का कार्यादेश निर्गत, 21 पूर्ण, 10 निर्माणाधीन	
	(ङ) परियोजनान्तर्गत प्रशिक्षित सहकारी समितियों के पद धारक/सदस्य	पूर्व में कार्यान्वित जिलों में 152673	कार्यान्वित की जा रही जिलों में 1928 (दिसम्बर, 2022 तक)
	समेकित सहकारी विकास परियोजना अन्तर्गत व्यवसायिक उपलब्धि (वर्ष 2020–21)	1876.50 लाख रूपये का व्यवसाय (दिसम्बर, 2022 तक)	
7.	अल्पकालीन कृषि ऋण का वितरण		
	(क) किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण वित्तीय वर्ष 2021–22	सदस्य– 87358	204.25 करोड़ रूपये
	(ख) किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण वित्तीय वर्ष 2022–23	सदस्य– 92612	271.60 करोड़ रूपये
	(ग) किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण। वर्ष 2023–24 ;दिनांक–31.01.2024 तक)	सदस्य–52958	147.51 करोड़ रूपये
8.	पैक्सों में सदस्यता अभियान		
	राज्यान्तर्गत 8463 पैक्सों में 1.41 करोड़ (एक करोड़ एकतालीस लाख) सदस्य है, जिसमें लगभग 36 (छत्तीस लाख) लाख महिलायें है। राज्य में पैक्स की सदस्यता से वंचित परिवार के सदस्यों को सदस्यता दिलाने हेतु विभाग द्वारा ऑन लाईन सदस्यता की व्यवस्था की गयी है। विभागीय वेबसाईट **www.cooperative.bih.nic.in** के माध्यम से कोई भी इच्छुक व्यक्ति ऑन लाईन आवेदन कर पैक्स का सदस्य बन सकता है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 4.94 लाख आवेदकों को पैक्स का सदस्य बनाया जा चुका है।		
9.	मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना		
	मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पैक्सों में कृषि उपकरण बैंक स्थापित करना है जिसके माध्यम से लघु एवं सीमांत कृषकों की आधुनिक कृषि उपकरणों तक पहुँच सुनिश्चित हो सके तथा राज्य की कृषि में मात्रात्मक एवं गुणात्मक हस्तक्षेप संभव हो।	इस योजना के लिए प्रथम वर्ष 2020–21 में 2927 पैक्सों के लिए प्रति पैक्स 15.00 लाख रू0 की दर से कुल मो0–439.05 करोड़ रूपये प्राप्त है।	राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत प्रत्येक पैक्स को कृषि यंत्र क्रय करने हेतु 50% ऋण (ब्याज सहित) एवं 50% अनुदान के रूप में राशि उपलब्ध करायी जायेगी। पैक्सों को ऋण के रूप में

			उपलब्ध करायी जाने वाली राशि 05 (पाँच) वर्षों में 10 (दस) अर्द्धवार्षिक किस्तों में सूद सहित वसूल की जायेगी। सम्प्रति इस वित्तीय वर्ष में 2927 पैक्सों को कृषि संयंत्र योजना के तहत प्रति पैक्स 15 लाख रूपये की दर से प्रथम किस्त की राशि उपलब्ध कराते हुए Gem Portal के माध्यम से कृषि संयंत्र का क्रय किया जा रहा है।
10.	सहकार भवन		
	सहकारिता विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को एक स्थान पर अवस्थित कराने के उद्देश्य से सहकार भवन का निर्माण।	राज्य योजना अंतर्गत कुल लागत 66.59 करोड़ से सात प्रमंडलीय मुख्यालय यथा पटना, कोशी, भागलपुर, गया (मगध), पूर्णियाँ, दरभंगा, मुंगेर एवं 20 जिला मुख्यालय यथा मधुबनी, औरंगाबाद, बांका, किशनगंज, कटिहार, कैमूर, पूर्वी चंपारण, रोहतास, समस्तीपुर, जमुई, गोपालगंज, आरा, नवादा, वैशाली, जहानाबाद, अररिया, सीतामढ़ी, नालन्दा, शिवहर और सुपौल में कुल 27 सहकार भवन के निर्माण का कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिसमें से 03 प्रमंडलीय मुख्यालय यथा पटना, कोशी (सहरसा), भागलपुर एवं 14 (चौदह) जिला मुख्यालयों यथा मधुबनी, औरंगाबाद, बांका, पूर्वी चम्पारण, रोहतास, किशनगंज, कटिहार, कैमूर (भभुआ), जमुई, गोपालगंज, नवादा, वैशाली, सीतामढी एवं अररिया में सहकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।	
11.	पैक्स कम्प्युटरीकरण		
	सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा केन्द्र प्रायोजित पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजना को सहकारिता विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 9581 दिनांक 30.11.2022 द्वारा राज्य में लागू किया गया है। कम्प्यूटरीकरण योजना का उद्देश्य पंचायत स्तर पर गठित पैक्स के माध्यम से संचालित कार्यप्रणाली, व्यवसाय आदि कार्यों को सुगम एवं पारदर्शी बनाना, सटीकता एवं एकरूपता लाना है। साथ ही उनकी दक्षता एवं लाभ प्रदत्ता में वृद्धि करते हुए भविष्य में उन्हे मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में विकसित करना है। योजनान्तर्गत राज्य में वर्तमान विद्यमान ग्राम पंचायत के सह अंतक सभी पैक्सों को चरणबद्ध रूप से वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2026–27 की अवधि में कम्प्यूटरीकृत करने हेतु केन्द्रांश के रूप में कुल 149.40 करोड़ रूपए एवं राज्यांश के रूप में 99.60 करोड़ रूपए अर्थात कुल 249.00 करोड़ रूपए व्यय किया जाएगा। प्रथम चरण में 4477 पैक्सों के कम्प्यूटरीकरण की कार्रवाई की जा रही है।		

2. योजनायें एवं उपलब्धियाँ

1. कृषि रोडमैप वर्ष 2023–28

6.1 परिचय

कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन में सहकारिता विभाग की भूमिका किसानों के लिए फसल चक्र की समग्र आवश्यकताओं यथा कृषि उपादान (खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि साख आदि), भंडारण क्षमता का सृजन, कृषि उपकरण बैंक की स्थापना, कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण, खाद्यान्नों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की उपलब्धता तथा सहकारी प्रक्षेत्र में संस्थागत विकास हेतु प्रशिक्षण के रूप में परिभाषित की गई है। इन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के संदर्भ में सहकारिता विभाग के द्वारा प्रशंसनीय उपलब्धियाँ प्राप्त की गई है।

पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण–सह–कार्यालय की स्थापना से सहकारी संस्थाओं को भौतिक पहचान मिलने के साथ–साथ व्यवसाय विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। राज्य के कुल 8984 पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में से 6888 पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में गोदाम–सह–कार्यालय निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिसके माध्यम से लगभग 14.63 लाख एम॰टी॰ भंडारण क्षमता का सृजन किया गया है। साथ ही 03 लाख एम॰टी॰ भंडारण क्षमता का सृजन प्रक्रियांतर्गत है। भंडारण क्षमता के सृजन के परिणामस्वरूप सहकारी समितियों के माध्यम से खाद, जनवितरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति का कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 468 पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में राईस मिल की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से अधिप्राप्त धान की मिलिंग कर राज्य खाद्य निगम को आपूर्ति की जा रही है।

राज्य सरकार के द्वारा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सुनिश्चित कराने के लिए खाद्यान्न अधिप्राप्ति (धान एवं गेहूँ) का कार्य पैक्सों एवं व्यापार मंडलों को सौंपा गया है। खाद्यान्न अधिप्राप्ति वर्ष 2021–22 में 6.42 लाख किसानों को 44.90 लाख एम॰टी॰ धान की अधिप्राप्ति के विरूद्ध 8710 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया। अधिप्राप्ति वर्ष 2022–23 में 5.77 लाख किसानों को 42.04 लाख एम॰टी॰ धान की अधिप्राप्ति के विरूद्ध कुल 8577 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। वर्तमान अधिप्राप्ति वर्ष 2023–24 में 3.73 लाख किसानों से 30.80 लाख एम. टी. धान की अधिप्राप्ति किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के क्षेत्र में सहकारी समितियों की सघन एवं सार्थक भागीदारी के फलस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि हुई है तथा बाजार की अनिश्चितताओं पर काबू पाने में सहायता मिली है।

राज्य के सहकारी बैंकों के माध्यम से पैक्स के सदस्य किसानों के बीच अल्पकालीन ऋण वितरण का कार्य किसान क्रेडिट कार्ड (के॰सी॰सी॰) के माध्यम से किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड पर भुगतेय ब्याज दर 9 प्रतिशत है, जिसपर ब्याज में 2 प्रतिशत अनुदान तथा समय पर ऋण भुगतान हेतु 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य के सहकारी बैंकों के द्वारा 92573 किसानों के बीच 271.60 करोड़ रूपए की राशि अल्पकालीन कृषि ऋण के रूप में वितरित की गई है। सहकारी बैंकों के द्वारा अधिप्राप्ति से संबंधित वित्तीय आवश्यकताओं की व्यवस्था सफलतापूर्वक की जा रही है। राज्य के सभी सहकारी बैंक आधुनिक तकनीक प्लेटफॉर्म पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं।

लघु एवं सीमांत किसानों को प्रतिस्पर्द्धात्मक दर पर आधुनिक कृषि तकनीक का लाभ सुनिश्चित कराने तथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु सहकारिता विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना का क्रियान्वयन जा रहा है, जिसके अंतर्गत राज्य के 2927 चयनित पैक्सों में कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 2899 पैक्सों में कुल 11912 संयंत्रों का क्रय किया जा चुका है तथा 3880 संयंत्रों का क्रय प्रक्रियान्तर्गत है।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ 2018 से राज्य में लागू है। उक्त योजना के अंतर्गत कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित रैयत एवं गैर रैयत किसानों को फसल क्षति की स्थिति में लाभान्वित किया जाता है। अब तक कुल 26.53 लाख किसानों के द्वारा इस योजना का लाभ प्राप्त किया गया है, जिसके तहत उन्हे 1651.35 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है।

राज्य के सब्जी उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने एवं ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण एवं उचित मूल्य पर सब्जी की आपूर्ति करने के उद्देश्य से बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना विभाग द्वारा संचालित है। इसके तहत 20 जिलों के 300 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी सहकारी समितियों में 35126 सदस्य आच्छादित है। अब तक सब्जी समितियों द्वारा 43766 एम॰टी॰ सब्जी का व्यवसाय कर 72.09 करोड़ रूपए का टर्न ओवर किया गया है।

राज्य के पैक्सों को बहुद्देश्यीय व्यवसायिक संस्था के रूप में विकसित किया जा रहा है तथा पैक्सों के कम्प्यूटराइजेशन का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसके फलस्वरूप पैक्सों के कार्यकलाप में पारदर्शिता आएगी तथा व्यवसायिक विविधीकरण का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। विभाग की योजना है कि राज्य के पैक्सों में व्यवसाय का विविधीकरण इस प्रकार किया जाए कि पैक्स कृषि चक्र की समग्र व्यवसायिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र की गैर–कृषि व्यवसायिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

सहकारिता विभाग के विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में ससमय एवं समग्र जानकारी उपलब्ध कराने तथा इन योजनाओं के संबंध में शिकायतों के ससमय निवारण हेतु विभाग के द्वारा टॉल फ्री कॉल सेंटर–''सुगम'' (1800 1800 110) की स्थापना की गई है। अधिप्राप्ति व्यवसाय, बिहार राज्य फसल सहायता योजना एवं अन्य विभागीय योजनाओं के सफलतापूर्वक संचालन में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

चतुर्थ कृषि रोड मैप (2023–28) हेतु सहकारिता विभाग की प्राथमिकताएँ

चतुर्थ कृषि रोड मैप (2023–28) के अंतर्गत सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य के विकास को समग्रता प्रदान करने हेतु प्राथमिकताओं का निर्धारण इस प्रकार किया गया है कि किसानों की कृषि एवं गैर–कृषि व्यवसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय स्तर पर संस्थागत रूप से निरंतरता के साथ की जा सके।

राज्य के पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण–सह–कार्यालय की स्थापना से सहकारी संस्थाओं को भौतिक पहचान मिलने के साथ–साथ व्यवसाय विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत विभाग की योजना है कि शेष सभी पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में लगभग 10 लाख एम॰टी॰ भंडारण क्षमता का सृजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अरवा चावल मिल के स्थान पर सहकारी समितियों में उसना चावल मिल की स्थापना उद्योग विभाग के सहयोग से किया जाना है।

राज्य सरकार के द्वारा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सुनिश्चित कराने के लिए खाद्यान्न

अधिप्राप्ति (धान एवं गेहूँ) का कार्य पैक्सों एवं व्यापार मंडलों द्वारा किया जा रहा है। विभाग की योजना है कि आगामी वर्षों में अधिप्राप्ति कार्य में राज्य के सभी पैक्सों एवं व्यापार मंडलों की सहभागिता सुनिश्चित किया जा सके।

राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को प्रतिस्पर्द्धात्मक दर पर आधुनिक कृषि तकनीक का लाभ सुनिश्चित कराने तथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु सहकारिता विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना का क्रियान्वयन जा रहा है, जिसके अंतर्गत राज्य के 2927 चयनित पैक्सों में कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत कृषि उपकरण बैंक के सुचारु क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। साथ ही मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना की अवशेष राशि से चयनित प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों में कृषि उपकरण बैंक की स्थापना की जानी है।

राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2018 से बिहार राज्य फसल सहायता योजना लागू की गई है। इसका उद्देश्य मूलतः फसलों के उत्पादन में ह्रास की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए उन्हें अगली फसल के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित रैयत एवं गैर रैयत किसानों को फसल क्षति की स्थिति में लाभान्वित किया जाता है। अब तक कुल 26.53 लाख किसानों के द्वारा इस योजना का लाभ प्राप्त किया गया है, जिसके तहत उन्हे 1651.35 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। आगामी कृषि रोड मैप में नए फसलों खासकर सब्जियों को इस योजना में समाहित किया जाना प्रस्तावित है, ताकि सब्जी उत्पादक किसानों को भी फसल क्षति की स्थिति में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जा सके।

राज्य के पैक्सों को बहुद्देश्यीय व्यवसायिक संस्था के रूप में विकसित करने हेतु पैक्स कम्प्यूटराइजेशन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। वर्तमान में राज्य के 4477 पैक्सों में कम्प्यूटराइजेशन का कार्य प्रक्रियान्तर्गत है। चतुर्थ कृषि रोड मैप में राज्य के सभी पैक्सों में कम्प्यूटराइजेशन का कार्य पूर्ण किया जाना है। राज्य के पैक्सों में व्यवसाय का विविधीकरण इस प्रकार से किया जाएगा कि पैक्स कृषि चक्र की समग्र व्यवसायिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र की गैर–कृषि व्यवसायिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

राज्य के सहकारी बैंकों के माध्यम से पैक्स के सदस्य किसानों के बीच अल्पकालीन ऋण वितरण का कार्य किसान क्रेडिट कार्ड (के॰सी॰सी॰) के माध्यम से किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य के सहकारी बैंकों के द्वारा 92573 किसानों के बीच 271.60 करोड़ रूपए की राशि अल्पकालीन कृषि ऋण के रूप में वितरित की गई है। आगामी कृषि रोड मैप में राज्य के सभी पैक्सों में पैक्स कम्प्यूटराइजेशन किया जाना है, जिसके माध्यम से पैक्सों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य केन्द्र के रूप में विकसित करने के साथ–साथ पैक्सों को जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के विस्तारित केन्द्र के रूप में भी कार्य लिया जा सकेगा, ताकि सदस्य किसानों को जमा वृद्धि व्यवसाय एवं ऋण वितरण का लाभ प्रदान किया जा सके।

चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत सब्जी तथा शहद उत्पादक सहयोग समितियों को संस्थागत रुप से मजबूत करते हुए अन्तर्विभागीय समन्वय के माध्यम से सब्जी तथा शहद प्रक्षेत्र की संभावनाओं को मूर्त रुप देना शामिल है।

कृषि रोडमैप वर्ष 2023–28 का वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यः–

1. भौतिक लक्ष्य (प्रस्ताव) –

क्र० सं०	1	2	3	4	5	6	7
		2023–24	2024–25	2025–26	2026–27	2027–28	कुल
1	1) कृषि साख में अभिवृद्धि (क) किसान क्रेडिट कार्ड (संख्या)	80000	90000	100000	110000	120000	5,00,000
	(ख) साख प्रवाह (करोड़ में)	250	270	300	330	350	1500
2	पैक्स/व्यापार मण्डल में भण्डारण क्षमता में अभिवृद्धि (लाख मे०टन)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	10.00
3	सहकारी समितियों द्वारा व्यवसाय विकास (क) कृषि आदानों की आपूर्ति हेतु अनुज्ञप्ति	500	500	500	500	500	2,500
	(ख) अधिप्राप्ति (पैक्स एवं व्यापार मंडल को अधिप्राप्ति कार्य में शामिल करने का लक्ष्य)	7500	7600	7700	7800	8000	–
4	प्रशिक्षण/कार्यशाला/संगोष्ठी के माध्यम से क्षमता वर्धन (क) सहकारी प्रशिक्षण संस्थान पूसा का आधुनिकीकरण, निर्माण एवं प्रशिक्षण।	नये भवन का निर्माण एवं पुराने भवन का जिर्णोंद्धार।					
	(ख) पैक्स/व्यापारमंडल के कार्यकारिणी सदस्यों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण (संख्या)	600	600	600	600	600	3,000
	(ग) पैक्स प्रबंधकों/सदस्यों का वार्षिक प्रशिक्षण (संख्या)	500	2000	2000	2000	2000	8,500
	(घ) विभाग के अधिकारी/कर्मी का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण (संख्या)	300	300	300	300	300	1,500
5	पैक्स कम्प्यूटराइजेशन	2000	2500	3558	–	–	8058
6	बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत किसानों का निबंधन/आच्छादन (लक्ष्य–लाख में)	25	28	30	32	35	150

वित्तीय लक्ष्य –

कार्यक्रम **लक्ष्य (राशि लाख में)**

क्र.सं.	1	2	3	4	5	6	7
		2023–24	2024–25	2025–26	2026–27	2027–28	कुल
1	1) कृषि साख में अभिवृद्धि (क) किसान क्रेडिट कार्ड (राशि) (ख) वार्षिक साख प्रवाह ('क' की राशि सहित)	 25000 420000	 27000 440000	 30000 460000	 33000 480000	 35000 500000	 150000 2300000
2	अधिप्राप्ति	950000	950000	1000000	1050000	1100000	5050000
3	पैक्स/व्यापार मण्डल में भण्डारण क्षमता में अभिवृद्धि (लाख मे.टन)	3761.60	3761.60	3761.60	3761.60	3761.60	18808.00
4	प्रशिक्षण/कार्यशाला/संगोष्ठी के माध्यम से क्षमता वर्धन						
	(क) सहकारी प्रशिक्षण संस्थान पूसा का आधुनिकीकरण, निर्माण एवं प्रशिक्षण।	176	141	–	–	–	317
	(ख) पैक्स/व्यापारमंडल के कार्यकारिणी सदस्यों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण	50	50	50	50	50	250
	(ग) पैक्स प्रबंधकों/सदस्यों का वार्षिक प्रशिक्षण	10	10	10	10	10	50
	(घ) विभाग के अधिकारी/कर्मी का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण	25	25	25	25	25	125
5	पैक्स कम्प्यूटराइजेशन	6180	7725	10995	–	–	24900
	कुल (क्रमांक 3+4+5 का योग)	**10202.60**	11712.60	14841.60	3846.60	3846.60	44450.00

II. अधिप्राप्ति

राज्य के कृषकों को उनके कृषि उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त कराने हेतु अधिप्राप्ति एक महत्वपूर्ण योजना है। राज्य में धान के उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। कृषकों को आपात बिक्री (Distress Sale) से बचाने में अधिप्राप्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके द्वारा कृषकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है।

- कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित किसानों से अधिप्राप्ति कार्य किया जाता है।
- वर्ष 2023–24 के लिए 45.00 लाख मे॰टन धान क्रय का सांकेतिक लक्ष्य निर्धारित है।
- भारत सरकार ने इस वर्ष 2023–24 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण धान के लिए 2183/– रुपये एवं ग्रेड A धान के लिए 2203/– रुपये प्रति क्विंटल अधिसूचित किया गया है।
- इस वर्ष भी किसानों को गनी बैग मद में रू० 25/– प्रति क्विंटल की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ भुगतान राज्य सरकार के मद से किया जा रहा है, जिसका लाभ किसानों को लगातार प्राप्त हो रहा है।
- रैयत कृषकों के लिए धान बिक्री की सीमा को प्रति कृषक 250 क्विंटल एवं गैर रैयत कृषकों के लिए प्रति कृषक 100 क्विंटल किया गया है ।
- अधिप्राप्ति कार्य में पूर्ण पारदर्शिता लाने हेतु Online Procurement Management System के अन्तर्गत Mobile Application के माध्यम से अधिप्राप्ति कार्य का संचालन, पर्यवेक्षण किया जा रहा है। साथ ही इसे (Central Food Procurement Portal) CFPP पर भी अद्यतन किया जा रहा है।
- भारत सरकार द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में किसानों का भुगतान PFMS प्रणाली के माध्यम से 48 घण्टे के भीतर किये जाने का प्रावधान है।
- इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा अधिप्राप्ति कार्य हेतु 8000 करोड़ रुपये ऋण राजकीय गारंटी के रूप में दी गई है।
- किसानों को अधिप्राप्ति से संबंधित जानकारी देने एवं उनके शिकायतों के त्वरित निष्पादन हेतु सुगम Call Centre (IVRS) की स्थापना की गई है, जो 24x7 कार्य कर रही है।
- पारदर्शी व्यवस्था अन्तर्गत किसानों से क्रय किये गये धान एवं उसके भुगतान सहित सभी प्रकार के आंकड़े Public Domain के माध्यम से सर्वसुलभ किये गये है।

वर्ष	धान (मात्रा लाख मे०टन)	
	लक्ष्य	उपलब्धि
2018—19	30.00 (सांकेतिक)	14.16
2019—20	30.00 (सांकेतिक)	20.01
2020—21	45.00 (सांकेतिक)	35.58
2021—22	45.00 (सांकेतिक)	44.90
2022—23	45.00 (सांकेतिक)	42.04
2023—24	45.00 (सांकेतिक)	30.80 (दिनांक 15.02.2024 तक)

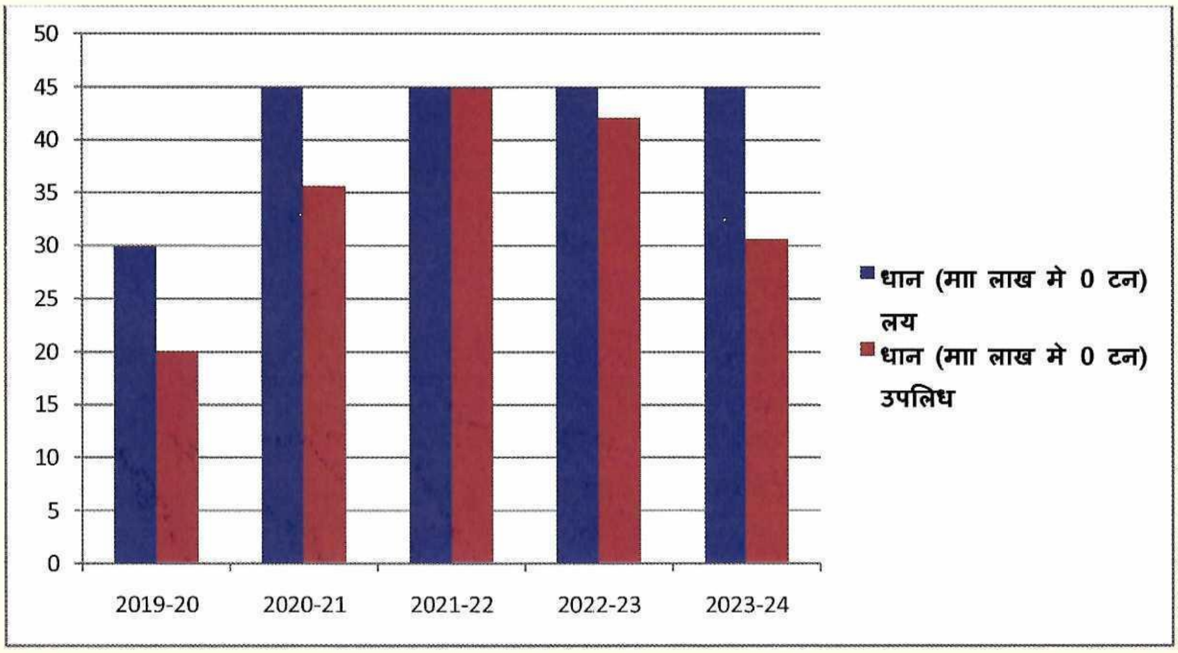

III. बिहार राज्य फसल सहायता योजना

- राज्य सरकार द्वारा खरीफ–2018 मौसम से ''बिहार राज्य फसल सहायता योजना'' लागू की गई है।
- बिहार राज्य फसल सहायता योजना का मूल उद्देश्य फसलों के उत्पादन में ह्रास की परिस्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए उन्हें अगली फसल के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना, प्रतिकूल परिस्थितियों में किसानों की आय में निरंतरता बनाए रखना तथा किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करते हुए राज्य में कृषि को लाभप्रद व्यवसाय के रूप में विकसित करना है।
- इस योजना का लाभ अन्य योजनाओं यथा–कृषि इनपुट अनुदान योजना एवं डीजल अनुदान योजना के लाभार्थियों को भी प्राप्त होगा।
- योजना के तहत् आवेदन करने हेतु किसानों को किसी प्रकार के शुल्क/प्रीमियम का भुगतान नहीं करना है।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ :–

- **आच्छादित किसान :–**

  (i) रैयत किसान – ऐसे सभी किसान, जो अपनी रैयती भूमि पर खेती स्वयं करते हों।

  (ii) गैर–रैयत किसान – ऐसे सभी किसान, जो दूसरे रैयतों की भूमि पर खेती करते हों।

  (iii) आंशिक रूप से रैयत एवं गैर–रैयत दोनों

इन्डेमनिटी स्तर एवं थ्रेसहोल्ड उपज

– 70 प्रतिशत इन्डेमनिटी स्तर का प्रावधान।

– थ्रेशहोल्ड उपज पिछले 07 वर्षों की औसत उपज एवं इन्डेमनिटी स्तर का गुणनफल।

- **आच्छादित/सहायता राशि की अधिसीमा**

  (i) थ्रेशहोल्ड उपज दर की तुलना में वास्तविक उपज दर में 20% तक ह्रास की स्थिति में सत्यापन के उपरान्त 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम दो (02) हेक्टेयर तक कुल 15,000 रुपये सहायता राशि अनुमान्य है।

  (ii) थ्रेशहोल्ड उपज दर की तुलना में वास्तविक उपज दर में 20% से ज्यादा ह्रास की स्थिति में सत्यापन के उपरान्त 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम दो (02) हेक्टेयर तक कुल 20,000 रुपये सहायता राशि अनुमान्य है।

- **फसल**

  खरीफ :– धान, मक्का, सोयाबीन, आलू, बैंगन, टमाटर, गोभी

  रबी :– गेहूँ, रबी मकई, चना, मसून, अरहर, राई–सरसो, ईख, प्याज, आलू, बैंगन, टमाटर, गोभी, मिर्चा

- **योजना के क्रियान्वयन हेतु सक्षम प्राधिकार**

  (क) राज्य स्तर पर – विकास आयुक्त, बिहार सरकार की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति

  (ख) जिला स्तर पर – जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति

- **सहायता राशि का भुगतान**

इस योजना के तहत् अनुमान्य सहायता राशि का भुगतान लाभार्थी किसानों को DBT के माध्यम से उनके बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जाता है।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना की प्रगति

मौसम	निबंधित किसानों की संख्या				लाभार्थी किसानों की संख्या एवं राशि		अभ्युक्ति
	कुल	रैयत	गैर–रैयत	रैयत एवं गैर–रैयत	संख्या	राशि (करोड़ में)	
खरीफ 2018	1150527	515314	635213	—	453005	368.64	भुगतान की प्रक्रिया समाप्त।
रबी 2018–19	1754350	865839	888511	—	180667	74.40	भुगतान की प्रक्रिया समाप्त।
खरीफ 2019	2494495	1120162	1370287	4046	400413	288.28	भुगतान की प्रक्रिया समाप्त।
रबी 2019–20	1955512	831812	1095328	28372	393520	185.14	भुगतान की प्रक्रिया समाप्त।
खरीफ 2020	3929108	1623343	2245751	60014	472374	230.44	भुगतान की प्रक्रिया समाप्त।
रबी 2020–21	1333100	406554	896979	29567	179715	70.43	भुगतान की प्रक्रिया समाप्त।
खरीफ 2021	1566432	356317	1187637	22478	319354	207.23	भुगतान की प्रक्रिया समाप्त।
रबी 2021–22	1294600	240482	1039979	14139	155936	101.28	भुगतान की प्रक्रिया समाप्त।
खरीफ 2022	1664944	234358	1402632	27954	286536	296.83	भुगतान की प्रक्रिया समाप्त।
रबी 2022–23	1169128	129139	1025070	14919	भुगतान प्रक्रियाधीन		
खरीफ 2023	1596922	78256	858934	659732	भुगतान मार्च/अप्रैल 2024 में		

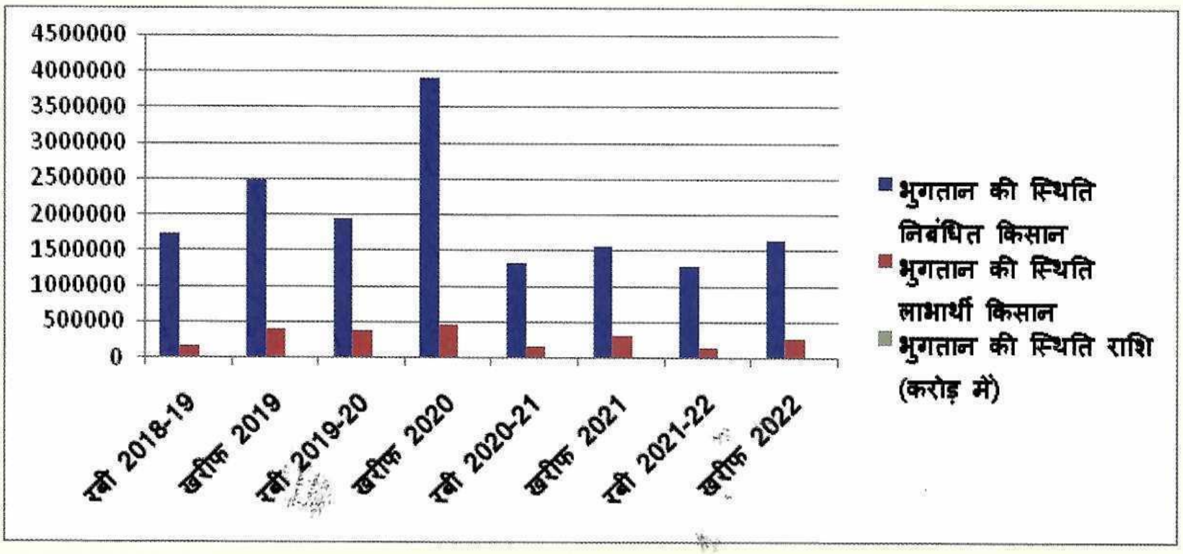

IV. सहकारी अधिसंरचना

(क) भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि

राज्य में भंडारण क्षमता की कमी को देखते हुए सरकार द्वारा कृषि रोड मैप (2012–17) में इसे प्राथमिकता देते हुए प्रमुख घटक के रूप में शामिल किया गया तथा इसके तहत वर्ष 2017 तक, पैक्स व्यापार मंडलों में विभिन्न क्षमता के गोदाम का निर्माण कराते हुए सहकारी क्षेत्र में भंडारण क्षमता में कुल 10.75 लाख मे॰टन अभिवृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरूद्ध कृषि रोड मैप 2012–17 अंतर्गत विगत 05 वर्ष में राज्य योजना के माध्यम से कुल 2996 पैक्सों/व्यापार मंडलों में विभिन्न क्षमता का गोदाम निर्माण कराते हुए राज्य के सहकारी क्षेत्र के भंडारण क्षमता में 6.859 लाख मे॰टन की अभिवृद्धि करायी गई।

कृषि रोड मैप (2017–22) में पैक्स/व्यापार मंडल में विभिन्न क्षमता के गोदाम निर्माण कराते हुए राज्य के सहकारी क्षेत्र में 10 लाख मे॰टन भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि राज्य के सभी 8463 पैक्स एवं 523 व्यापार मंडल का अपना गोदाम उपलब्ध हो सके।

वर्ष 2022–23 में (बैकलॉग सहित) 207 पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में गोदाम का निर्माण कराया जा चुका है, जिससे 1.227 लाख एम॰टी॰ भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि हुई है।

वर्ष 2023–24 में अबतक (बैकलॉग सहित) 113 पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में गोदाम का निर्माण कराया जा चुका है, जिससे 0.654 लाख एम॰टी॰ भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि हुई है।

वर्त्तमान में सहकारिता विभाग द्वारा राज्य में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6973 पैक्स/व्यापार मंडलों में 1000/500/200 मे॰टन क्षमता का गोदाम निर्माण कराया जा चुका है, जिसकी कुल भंडारण क्षमता 15.1295 लाख मे॰टन है, जबकि 463 गोदाम निर्माणाधीन है, जिससे 2.688 लाख मे॰टन भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि हो सकेगी।

(ख) धान प्रसंस्करण इकाई की स्थापना

राज्य में पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा अधिप्राप्ति किये जाने वाले धान के प्रसंस्करण हेतु कृषि रोड मैप (2012–17) में कुल 350 चावल मिल गैसीफायर संयंत्र के साथ RKVY योजना के माध्यम से स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके विरूद्ध 345 चावल मिल.सह.गैसीफायर संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा करा लिया गया था, जिसमें वर्ष 2016–17 में निर्मित 62 चावल मिल (बैकलॉग के साथ) भी सन्निहित था।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2017–18 में 35 एवं 2018–19 में 42 एवं 2019–20 में अबतक (बैकलॉग सहित) 50 पैक्स/व्यापार मंडलों में चावल मिल का निर्माण विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पूरा कराते हुए अबतक 485 पैक्स/व्यापार मंडलों में चावल मिल.–सह–.गैसीफायर की स्थापना की जा चुकी है, एवं 53 (बैकलॉग सहित) चावल मिल निर्माणाधीन/लम्बित है।

कृषि रोड मैप (2017–22) में कुल 260 पैक्स/व्यापार मंडलों में 02 मे॰टन क्षमता के विद्युत आधारित चावल मिल ड्रायर के साथ स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरूद्ध वर्ष 2017–18 में 80 चावल मिल के निर्माण की स्वीकृति राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत दी गई है। साथ ही, 13 चावल मिल जो वर्ष 2016–17 में निर्मित कराया जाना था, किन्तु कतिपय कारण से इसका निर्माण नहीं हो पाया था, उसका भी वर्ष 2017–18 में

पुनर्वैधिकरण किया गया है। फलतः वर्ष 2017–18 में 93 चावल मिल की स्थापना हेतु 77.45 लाख रूपये प्रति इकाई की दर से 69.69 करोड़ रूपये राशि जिला को उपलब्ध करा दिया गया है। वर्ष 2017–18 में 35 (बैकलॉग का) चावल मिल–सह–गैसीफायर की स्थापना की चुकी है एवं वर्ष 2018–19 में (बैकलॉग सहित) 42 एवं वर्ष 2019–20 में (बैकलॉग सहित) 51 पैक्सों/व्यापार मंडलों में चावल मिल की स्थापना कार्य पूर्ण हो चुका है एवं वर्ष 2020–21 में 26 (बैकलॉग सहित) समितियों में चावल मिल की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2021–22 में 05 (बैकलॉग सहित) समितियों में चावल मिल की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 45 समितियों (बैकलॉग सहित) में स्थापना कार्य निर्माणाधीन है।

(ग) ड्रायर की स्थापना

पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा अधिप्राप्ति किये गये धान के नमी प्रबंधन हेतु राज्य में पूर्व से स्थापित चावल मिल के साथ विभाग द्वारा 12 मे॰टन (प्रति पाली) क्षमता के ड्रायर की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो आगामी 05 वर्ष में Phasewise कुल 441 पूर्व स्थापित/निर्माणाधीन स्वीकृत चावल मिल के साथ लगाये जायेंगे।

इस योजना के तहत् वर्ष 2017–18 में 40 पैक्स/व्यापार मंडलों में ड्रायर स्थापित करने हेतु आवश्यक राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गई थी, 39 समितियों में ड्रायर स्थापित किया जा चुका है।

वर्ष 2018–19 में 38 पैक्स/व्यापार मंडलों में ड्रायर स्थापित करने हेतु कुल 6.84 करोड़ रूपये की राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गई थी, 38 समितियों में ड्रायर स्थापित किया जा चुका है।

वर्ष 2019–20 में 57 पैक्स/व्यापार मंडलों में ड्रायर स्थापित करने हेतु कुल 10.26 करोड़ रूपये की राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गई है। 27 समितियों में ड्रायर स्थापित किया जा चुका है।

वर्ष 2021–22 में 33 पैक्स/व्यापार मंडलों में ड्रायर स्थापित करने हेतु कुल 05.94 करोड़ रूपये की राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गई है।

V. बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना

- बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का उद्देश्य सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य के सब्जी उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने एवं ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण तथा उचित मूल्य पर सब्जी आपूर्ति किया जाना है।

- योजना के कार्यान्वयन के लिए त्रिस्तरीय सहकारी संरचना की अवधारणा की गई है जिसमें प्रखंड स्तर पर सब्जी उत्पादक किसानों को सम्मलित कर प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति, कुछ जिलों के प्रखंड स्तरीय प्राथमिक समितियों को मिलाकर सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ तथा राज्य स्तर पर फेडरेशन गठित किया जाना है।

- प्रखंड स्तर पर गठित प्राथमिक समितियों में 10,000 वर्ग फीट भूमि पर स्थानीय उपभोक्ताओं के लिए सब्जी हाट के साथ–साथ प्रबंधन कार्यालय, मिनी कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग ग्रेडिंग शेड, सब्जी वाहनों के लिए लिफ्टिंग प्लेटफार्म आदि के निर्माण के साथ–साथ आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था की जानी है।

- सहकारी संघ पूरे प्रसंस्करण एवं विपणन व्यवस्था के केन्द्र के रूप में कार्य करेगा। उक्त सहकारी संघ प्राथमिक सब्जी सहकारी समितियों से प्राप्त सब्जी का शीत संग्रहण, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन व्यवस्था का कार्य करेगा।

- योजनान्तर्गत पटना, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भोजपुर एवं बक्सर जिलों में प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति का गठन करते हुए हरित संघ, पटना गठित है। पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढी, शिवहर, सारण, सिवान और गोपालगंज जिलों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति का गठन करते हुए तिरहुत संघ गठित किया गया है। दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिले के प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति को गठन करते हुए मिथिला संघ का गठन किया गया है।

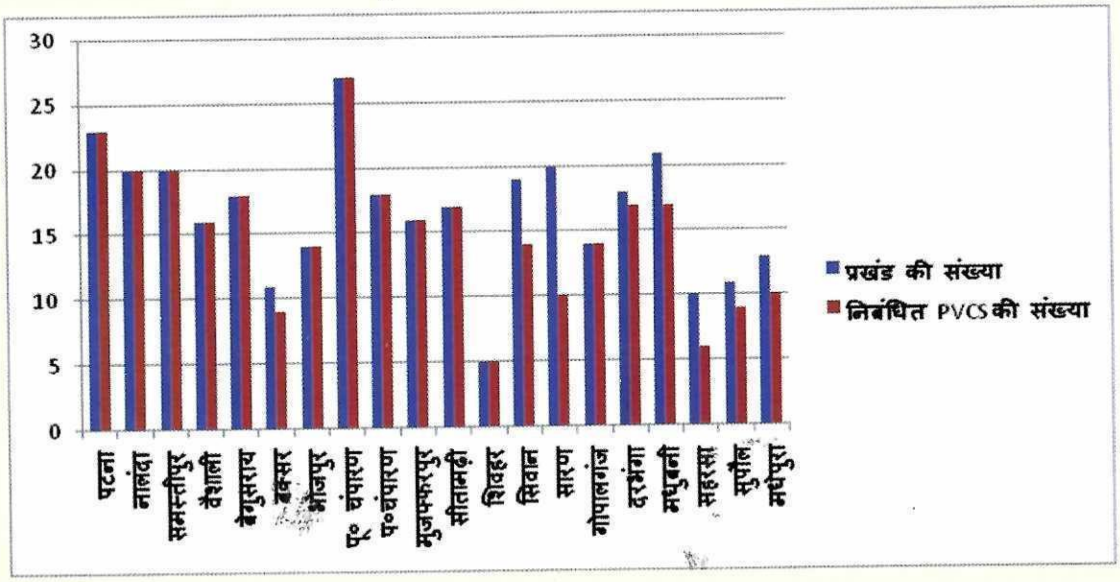

- शीर्ष स्तर पर बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि० पटना का गठन किया जा चुका है।
- वर्तमान में योजना का आच्छादन तीन संघों के माध्यम से राज्य के 20 जिलों में किया जा चुका है। इन 20 जिलों में 300 प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादक सहकारी समिति का गठन किया जा चुका है। शीर्ष स्तर पर सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन (वेजफेड) भी गठित एवं कार्यरत है। इन 300 प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों में अब तक 38000 सब्जी उत्पादक किसान सदस्य बन चुके हैं।
- सदस्यता को सुविधाजनक, व्यापक एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ऑनलाईन आवेदन की सुविधा प्रदान कर दी गई है।
- बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजनान्तर्गत 10 PVCS में सिविल संरचना निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
- इस योजना का ब्रांड–**"तरकारी"** है। संघों द्वारा संस्थागत एवं खुदरा बिक्री के माध्यम से सब्जी बिक्री का कार्य संचालित है।
- पटना संघ, तिरहुत संघ एवं मिथिला संघ द्वारा अबतक (दिनांक–24.01.2024 तक) 60226 मे०टन की सब्जी व्यवसाय में 106.31 करोड़ रूपये का turn over किया गया।
- वर्तमान में पटना शहर में ऑनलाईन www.tarkaarimart.in के माध्यम से सब्जी बिक्री का कार्य भी किया जा रहा है। अब तक कुल 33593 ऑर्डर की सफलतापूर्वक आपूर्ति की गई है।
- सब्जी के थोक क्रय हेतु www.tarkaarimandi.in प्रारंभ की गई है।
- प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति द्वारा की गई सब्जी के क्रय आदेश को देखने एवं उक्त आदेश के विरूद्ध सब्जी आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बारे में सूचना देने के लिए सदस्य किसानों के लिए Tarkaari App विकसित की गई है।
- यह योजना बिहार राज्य के कृषि अर्थव्यवस्था में मील का पत्थर साबित होगा।

VI. समेकित सहकारी विकास परियोजना

राज्य में सहकारिता को सबल बनाने हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से समेकित सहकारी विकास परियोजना चलायी जा रही है। इस परियोजना के तहत जिलों में चयनित विभिन्न प्रकार के सहकारी समितियों विशेषकर पैक्सों/व्यापार मंडलों में :-

- अधिसंरचना निर्माण (गोदाम –सह– कार्यालय)।
- व्यवसाय विकास एवं सहकारी क्षेत्र में प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन का विकास।
- मत्स्य पालन, बुनकर, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, बकरी पालन, कृषि प्रसंस्करण, महिला विकास, पणन आदि का विकास।

इस योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली से राज्य सरकार को ऋण एवं अनुदान मद में राशि उपलब्ध करायी जाती है। निगम द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले अनुदान का अनुपात करीब 25 प्रतिशत है। यह राशि निगम द्वारा राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति (Re-imbursement) के आधार पर उपलब्ध करायी गयी है। योजना के कार्यान्वयन हेतु स्थापना आदि खर्च के लिए प्रावधानित अनुदान की राशि में निगम एवं राज्य सरकार का अनुपात 50–50 का है। इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर पर निबंधक, सहयोग समितियाँ के अधीन एक अनुश्रवण कोषांग गठित है। जिला स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन दल का गठन किया जाता है जिसके प्रमुख महाप्रबंधक होते हैं तथा महाप्रबंधक के अधीन प्रबंधक साख, विकास पदाधिकारी एवं अन्य कार्मिक पदस्थापित होते हैं। इस परियोजना की अवधि पाँच वर्ष निर्धारित है। इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करने के निमित्त राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति एवं जिला स्तर पर जिला स्तरीय समन्वय समिति गठित है। राज्य स्तरीय समन्वय समिति के अध्यक्ष प्रधान सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग एवं जिला स्तरीय समन्वय समिति के अध्यक्ष उस जिला, जहाँ यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, के जिला पदाधिकारी होते हैं। परियोजना के सफल संचालन हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति हेतु कार्मिक चयन समिति भी गठित है।

इस परियोजना के तहत् मानव संसाधन के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत समितियों के प्रबंधकों, निदेशक मंडल के सदस्यों एवं आम सदस्यों को प्रबंधकीय विकास, वित्तीय प्रबंधन एवं व्यवसाय विकास हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि समितियों के निर्वाचित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सहकारिता के सिद्धान्तों एवं व्यवहारिक पक्षों का ज्ञान हो जिसका प्रतिफल समितियों के सफल संचालन एवं होने वाले लाभों के रूप में प्राप्त हो।

समेकित सहकारी विकास परियोजना, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना

पूर्व में कार्यान्वित जिलों का प्रतिवेदन

1. परियोजना लागत एवं व्यय

(राशि लाख रु. में)

क्रम	जिला का नाम	ऋण	हिस्सा पूंजी	अनुदान	कुल योग	कुल व्यय 31.12.2021 तक
1	2	3	4	5	6	7
1	गोपालगंज	295.620	631.620	292.000	1,219.240	1,153.910
2	मधुबनी	287.650	704.470	212.800	1,204.920	1,179.070
3	गया	313.340	607.680	215.390	1,136.410	1,059.180
4	सीतामढ़ी	299.150	517.700	218.630	1,035.480	1,019.670
5	आरा	304.680	645.950	162.600	1,113.230	1,080.760
6	छपरा	280.600	673.500	205.620	1,159.720	1,068.980
7	सीवान	296.570	683.080	164.570	1,144.220	1,090.670
8	कैमूर	750.720	40.770	337.110	1,128.600	1,084.550
9	खगड़िया	1,055.250	68.490	468.110	1,591.850	1,183.550
10	शिवहर	698.800	131.280	355.270	1,185.350	984.000
11	वैशाली	2,664.690	334.125	1,257.935	4,256.750	3,503.700
12	नालंदा	2,070.512	293.950	956.758	3,321.220	2,796.770
13	जहानाबाद	605.07500	605.07500	242.080	1,452.230	1,271.110
14	अररिया	1,572.55000	1,572.55000	402.250	3,547.350	2,938.112
	कुल योग :	**11,495.207**	**7,510.240**	**5,491.123**	**24,496.570**	**21,414.032**

2. गोदाम निर्माण

क्रम	जिला का नाम	पैक्स गोदाम निर्माण		व्यापार मंडल गोदाम निर्माण	
		कुल लक्ष्य	उपलब्धि (31.12.2021 तक)	कुल लक्ष्य	उपलब्धि (31.12.2021 तक)
1	2	3	4	5	6
1	गोपालगंज	130	130	9	9
2	मधुबनी	110	110	12	12
3	गया	118	114	12	9
4	सीतामढ़ी	100	91	12	10
5	आरा	105	104	16	14
6	छपरा	104	99	14	10
7	सीवान	100	98	15	10
8	कैमूर	74	74	0	0
9	खगड़िया	81	71	3	0
10	शिवहर	46	46	0	0
11	वैशाली	172	168	7	7
12	नालंदा	123	123	6	6
13	जहानाबाद	39	39	4	3
14	अररिया	124	124	2	2
	कुल योग :	**1426**	**1391**	**112**	**92**

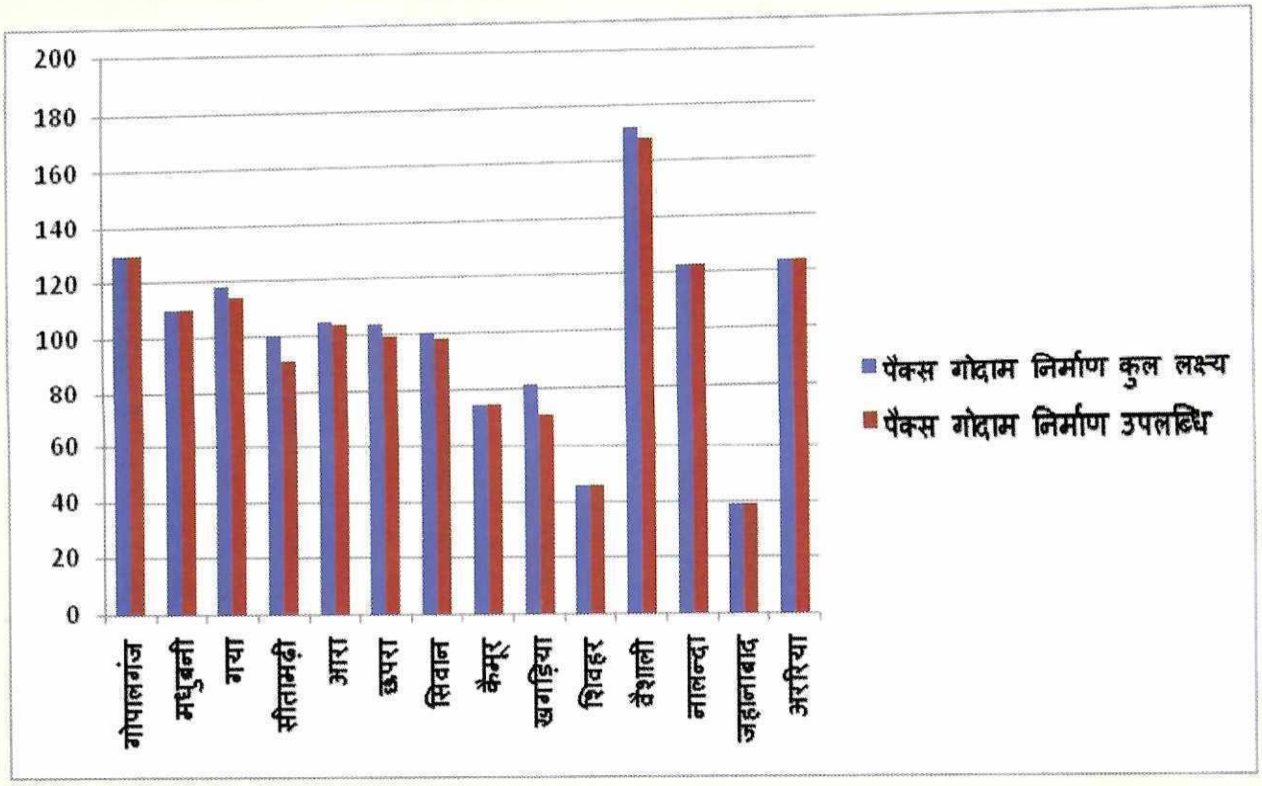
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
गोपालगंज
मधुबनी
गया
सीतामढ़ी
आरा
छपरा
सिवान
कैमूर
खगड़िया
शिवहर
वैशाली
नालन्दा
जहानाबाद
अररिया
पैक्स गोदाम निर्माण कुल लक्ष्य
पैक्स गोदाम निर्माण उपलब्धि

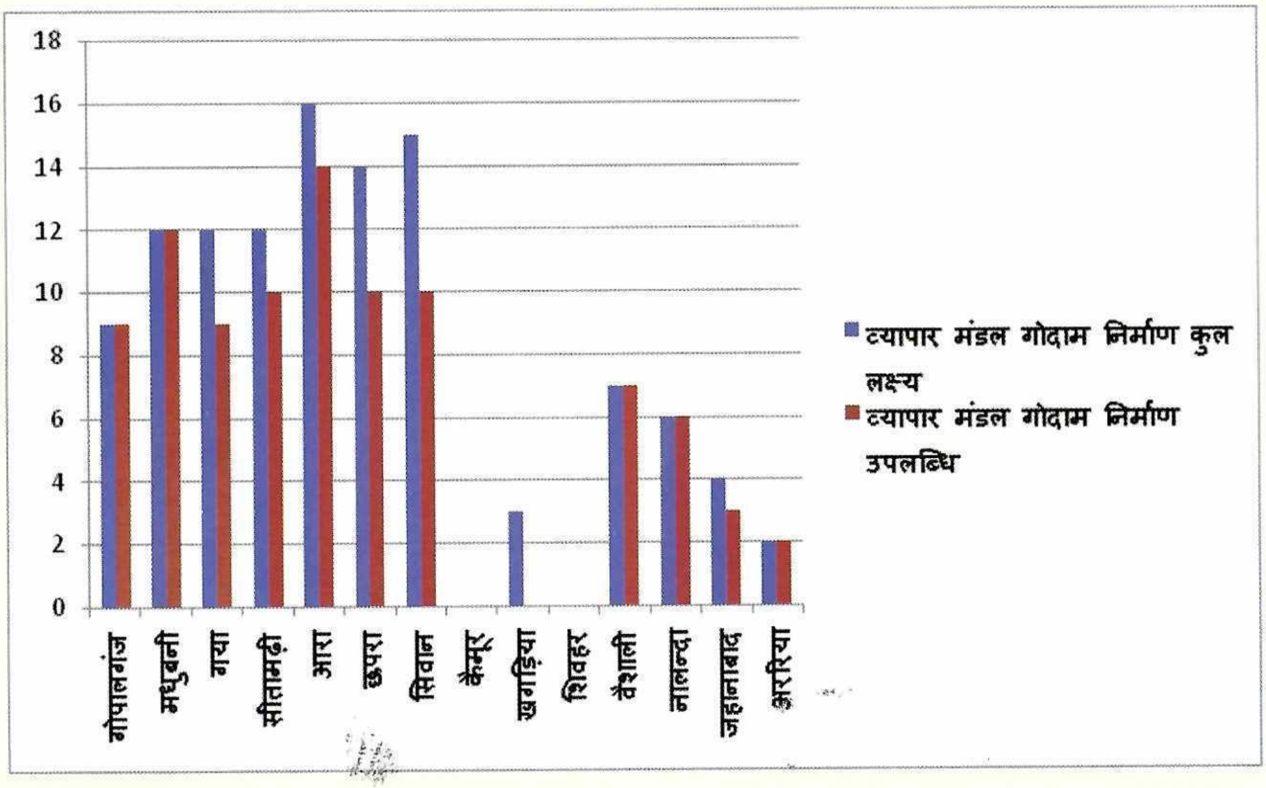
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
गोपालगंज
मधुबनी
गया
सीतामढ़ी
आरा
छपरा
सिवान
कैमूर
खगड़िया
शिवहर
वैशाली
नालन्दा
जहानाबाद
अररिया
व्यापार मंडल गोदाम निर्माण कुल लक्ष्य
व्यापार मंडल गोदाम निर्माण उपलब्धि

समेकित सहकारी विकास परियोजना, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना
वर्त्तमान में कार्यान्वित जिलों का प्रतिवेदन

(राशि लाख रु॰ में)

1. परियोजना लागत, प्राप्त एवं व्यय

क्रम	जिला का नाम	कुल लागत राशि				कुल प्राप्त राशि	कुल व्यय
		ऋण / चक्रीय पूंजी	हिस्सा पूंजी / एल॰डी॰ / यू॰डी॰ के अतिरिक्त	अनुदान	कुल योग		
1	2	3	4	5	6	7	10
1	मोतीहारी	4,157.35000	2,316.92000	2,377.46000	8,851.73000	8472.56000	6504.1214
2	औरंगाबाद	5,422.02000	2,857.26000	3,029.26000	11,308.54000	6,374.41000	3794.4200
3	बेगूसराय	2,903.81500	1,486.51800	1,846.23200	6,236.56500	5248.00000	2227.960
4	बेतिया	3,925.66750	1,999.28375	2,397.17375	8,322.12500	4,112.73000	845.2450
5	दरभंगा	4,050.70000	2,025.35000	2,483.13000	8,559.18000	5433.88000	2412.2610
6	पूर्णियाँ	2,633.62000	1,363.68500	1,689.54500	5,686.85000	4089.25300	2112.2610
7	रा॰अनु॰को	-	-	331.00000	331.00000	331.00000	331.0000
कुल योग :		23,093.17250	12,049.01675	14,153.80075	49,295.99000	34,061.83300	18227.2684

2. गोदाम निर्माण

क्रम	जिला का नाम	पैक्स गोदाम निर्माण			व्यापार मंडल का गोदाम निर्माण		
		गोदाम निर्माण / मरम्मति का लक्ष्य	कार्यादेश निर्गत	कार्य प्रारंभ / पूर्ण	गोदाम निर्माण / मरम्मति का लक्ष्य	कार्यादेश निर्गत	कार्य प्रारंभ / पूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मोतिहारी	270	268	268/ 264	15	12	12 / 9
2	औरंगाबाद	149	118	118 / 89	9	7	7 / 7
3	बेगूसराय	124	83	83 / 39	6	3	3 / 0
4	बेतिया	170	81	81 / 69	12	0	0 / 0
5	दरभंगा	168	109	109 / 96	6	3	3 / 3
6	पूर्णियाँ	133	125	125 / 86	11	6	6 / 3
कुल योग :		1014	784	784 / 729	59	31	31/ 21

समेकित सहकारी विकास परियोजनान्तर्गत अन्य उपलब्धियाँ

- 12 समितियों में चावल मिल की स्थापना
- 56 समितियों में गैसीफायर सहित चावल मिल की स्थापना
- 292 पैक्सों में पूर्व निर्मित गोदामों की मरम्मति।
- 73 समितियों में प्याज भंडारण हेतु गोदाम का निर्माण।
- 8 दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों को आर्थिक सहायता।
- 145 समितियों में कम्पोजिट ईकाई की स्थापना
- 5 समितियों में दाल मिल की स्थापना
- 37 समितियों में एग्री क्लिनीक की स्थापना
- 787 वर्मी कम्पोस्ट ईकाई की स्थापना
- 15 कार्यालय –सह– बिक्री केन्द्र की स्थापना
- 1 कोल्ड स्टोरेज की स्थापना
- 9 सब्जी विपणन केन्द्र की स्थापना
- 1 मधु प्रसंस्करण ईकाई की स्थापना
- 20 ई–सेन्टर की स्थापना
- 60 मुर्गी पालन केन्द्र की स्थापना
- खगड़िया जिला में 1 सूर्यमुखी प्रोसेसिंग ईकाई की स्थापना
- खगड़िया जिला में 1 सोयाबीन प्रोसेंसिंग ईकाई की स्थापना
- खगड़िया जिला में 2 मुर्गी दाना आहार ईकाई की स्थापना
- नालंदा जिला में 5 समितियों में ग्रामीण विधुतीकरण हेतु गैसीफायर की स्थापना।
- मधुबनी जिला में 1 समिति में गैसीफायर सहित मखाना प्रोसेसिंग ईकाई की स्थापना
- सीवान जिला में 1 बुनकर सहयोग समिति में गैसीफायर की स्थापना
- भोजपुर (आरा) जिला में 1 व्यापार मंडल में एल॰पी॰जी॰ गोदाम की स्थापना
- 26 महिला सहयोग समितियों को आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना
- 46 बुनकर सहयोग समितियों को शेड, लूम, डाई प्लांट इत्यादि के लिए आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना
- 200 समितियों में सिंचाई हेतु पंप सेट (बोर बेल) हेतु आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना
- 252 मत्स्य पालकों को हेचरी, जाल, बोट, आईस बॉक्स के साथ साइकिल हेतु आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना
- 310 मधुमक्खी पालकों को आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना
- 3 समितियों को फ्लोरिकल्चर हेतु आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना
- 3 समितियों को फल–सब्जी के विपणन हेतु आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना
- 50 समितियों को बकरी पालन हेतु आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना

VII. सहकार भवन

सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में बेहतर प्रशासनिक समन्वय स्थापित करने, उनके कार्यकलापों में पारदर्शिता लाने एवं अभिलेखों के उचित रख–रखाव के उद्देश्य से एक ही परिसर में स्थान आवंटित करने के लिए संकल्प संख्या–3485 दिनांक–07.11.2017 द्वारा राज्य के प्रत्येक जिला में सहकार भवन बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रमंडलीय जिला मुख्यालय में G+2 एवं अन्य जिला मुख्यालय में G+1 सहकार भवन का निर्माण किया जाना है। प्रमंडल स्तरीय सहकार भवन के भूतल पर संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी का कार्यालय, सहायक निबंधक का कार्यालय, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का कार्यालय हेतु स्थान आवंटित है। प्रथम तल पर केन्द्रीय सहकारी बैंक हेतु स्थान आवंटित है तथा द्वितीय तल पर उत्कृष्टता केन्द्र के लिए स्थान निर्धारित है जिला स्तरीय सहकार भवन के भूतल पर जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का कार्यालय तथा प्रथम तल पर केन्द्रीय सहकारी बैंक के लिए स्थान निर्धारित है।

सहकार भवन-एक जनोपयोगी व्यवस्था

- जिला एवं प्रमण्डल स्तर पर सहकारिता विभाग से संबंधित सभी कार्यालय एक छत के नीचे
- सहकारी समिति के सदस्यों के लिए सुगम व्यवस्था
- प्रशासनिक समन्वय की सहजता

सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को समेकित रूप से स्थान आवंटित कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी जिला मुख्यालयों में सहकार भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में सहकार भवन निर्माण हेतु राज्य योजना अन्तर्गत कुल लागत 66.59 करोड़ (छियासठ करोड़ उनसठ लाख रूपये मात्र) से 07 (सात) प्रमंडलीय मुख्यालय यथा पटना, कोशी (सहरसा), भागलपुर, गया (मगध), पूर्णियाँ, दरभंगा, मुंगेर एवं 20 (बीस) जिला मुख्यालय यथा मधुबनी, औरंगाबाद, बाँका, किशनगंज, कटिहार, कैमूर (भभुआ), पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), रोहतास (सासाराम), समस्तीपुर, जमुई, गोपालगंज, आरा, नवादा, वैशाली (हाजीपुर), जहानाबाद, अररिया, सीतामढ़ी, नालंदा, शिवहर और सुपौल में कुल–27 (सताईस) सहकार भवन के निर्माण का कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें से 03 प्रमंडलीय मुख्यालयों यथा पटना, कोशी (सहरसा), भागलपुर एव 14 (चौदह) जिला मुख्यालयों यथा मधुबनी, औरंगाबाद, बांका, पूर्वी चम्पारण, रोहतास, किशनगंज, कटिहार, कैमू (भभुआ), जमुई, गोपालगंज, नवादा, वैशाली, सीतामढी एवं अररिया में सहकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

VIII. मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना

मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पैक्सों में कृषि उपकरण बैंक स्थापित करना है जिसके माध्यम से लघु एवं सीमांत कृषकों की आधुनिक कृषि उपकरणों तक पहुँच सुनिश्चित हो सके तथा राज्य की कृषि में मात्रात्मक एवं गुणात्मक हस्तक्षेप संभव हो। इस योजना के लिए प्रथम चरण में 2927 पैक्सों के लिए प्रति पैक्स 15.00 लाख रू0 की दर से कुल मो0–439.05 करोड़ रूपये प्राप्त है। राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत प्रत्येक पैक्स को कृषि यंत्र क्रय करने हेतु 50% ऋण (ब्याज सहित) एवं 50% अनुदान के रूप में राशि उपलब्ध करायी जा रही है। पैक्सों को ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाने वाली राशि 05 (पाँच) वर्षों में 10 (दस) अर्द्धवार्षिक किस्तों में सूद सहित वसूल की जायेगी। सम्प्रति प्रथम चरण में 2927 पैक्सों के लिए प्राप्त राशि के विरुद्ध 2899 पैक्सों को कृषि संयंत्र योजना के तहत प्रति पैक्स 15 लाख रूपये की दर से राशि उपलब्ध कराते हुए Gem Portal के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कृषि संयंत्र का क्रय किया जा रहा है।

योजना के तहत 2838 पैक्सों द्वारा GeM पर विभिन्न प्रकार के 16926 कृषि यंत्रों के लिए निविदा आमंत्रित किया जा चुका है तथा पैक्सों द्वारा 15269 कृषि यंत्रों के क्रय हेतु क्रयादेश निर्गत किया गया है। पैक्सों को 14282 कृषि यंत्रों की आपूर्त्ति की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना

- कृषि प्रधान राज्य की कृषि व्यवस्था के यांत्रिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल
- प्रतिस्पर्धात्मक दर पर लघु एवं सीमांत किसानों की आधुनिक कृषि तकनीक तक पहुँच संभव
- कृषि यंत्रों के चयन में पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता को प्राथमिकता
- चयनित पैक्सों के द्वारा पारदर्शिता एवं मितव्ययिता के दृष्टिकोण से जेम पोर्टल के माध्यम से कृषि उपकरणों का क्रय
- Mobile App के माध्यम से किसानों द्वारा कृषि यंत्रों की ऑन लाईन बुकिंग

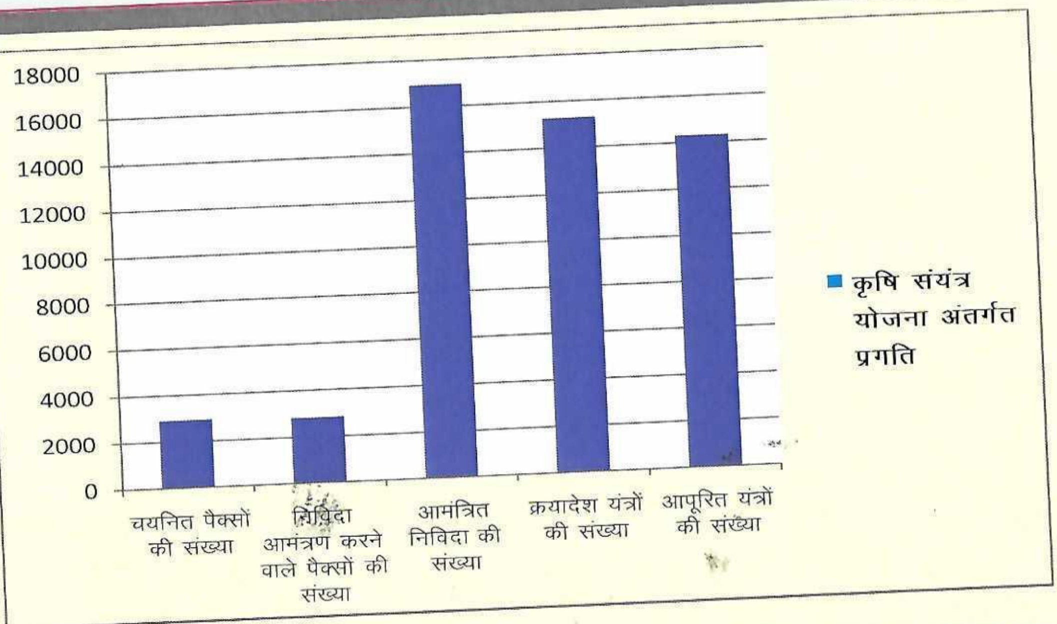

IX. वार्षिक योजना

वार्षिक योजना वर्ष 2023–24 के लिए राज्य स्कीम अन्तर्गत 107524.1 लाख रू॰ (पुनरीक्षित) का उपबंध उपलब्ध है जिसके विरूद्ध **68954.85** लाख रू॰ का व्यय किया गया। केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम अन्तर्गत 6004.00 लाख रूपया का उपबंध उपलब्ध है।

वर्ष 2023–24 के लिए मदवार उपबंधित राशि एवं व्यय की गयी राशि निम्नवत् है :– (31.12.2023 तक)

(राशि लाख रू॰ में)

क्र॰ सं॰	परियोजना का नाम		उपबंधित राशि			व्यय की गयी राशि
			संशोधित उदव्यय	केन्द्र प्रायोजित योजना	कुल राशि	
1	2		3	4	5	6
1	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (क्षतिपूर्त्ति)		1.00		1.00	
2	मौसम आधारित फसल बीमा योजना (प्रीमियम)		1.00		1.00	
3	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (प्रीमियम)		1.00		1.00	
4	प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (प्रीमियम)		0.00		0.00	
5	बिहार राज्य फसल सहायता योजना		47208.01		47208.01	40120.08
6	एन॰सी॰डी॰सी॰ सम्पोषित समेकित सहकारी विकास परियोजना		1.00		1.00	
7	सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों की मरम्मति		1.00		1.00	
8	विभागीय पदाधिकारियों / कर्मचारियों का प्रशिक्षण		452.00		452.00	202.32
9	सहकारिता विभाग के कार्यालयों का जीर्णोद्धार		125.00		125.00	124.33
10	सूचना एवं प्रचार के लिए सहकारिता विभाग द्वारा व्यय		455.37		455.37	46.05
11	गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान		16974.53		16974.53	34.80
12	बिहार राज्य भण्डार निगम को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान		276.22		276.22	250.22
13	बिहार राज्य सहकारिता बैंक पटना को कृषि साख स्थिरीकरण निधि हेतु ऋण (अधिप्राप्ति)		0.00		0.00	
14	सब्जी आधारित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन (अनुदान)		7500.00		7500.00	
15	सब्जी आधारित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन (निवेश)		2500.00		2500.00	
16	केन्द्रीय सहकारी बैंकों को अनुदान		9434.09		9434.09	9433.09
17	केन्द्रीय सहकारी बैंक के हिस्सा–पूँजी में अंशदान		1.00		1.00	
18	सहकारिता विभाग के भवनों का निर्माण (माँग सं॰–03)		1835.91		1835.91	1009.00
19	पैक्सों / व्यापारमंडलों में ड्रायर निर्माण हेतु अनुदान		1.00		1.00	
20	प्रबंधकीय अनुदान		13961.97		13961.97	13961.96
21	पैक्सों का कम्प्युटरीकरण					
22	मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना		527.00		527.00	
	केन्द्र प्रायोजित योजना					
23	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	केन्द्रांश	0.00		0.00	
		राज्यांश	0.00		0.00	
24	पैक्स कम्प्यूटरीकरण	केन्द्रांश	4700.00		4700.00	2264.00
		राज्यांश	1567.00		1567.00	1509.00
	(क) राज्य स्कीम का योग		107524.1		107524.1	68954.85
	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम					
1	मुख्यमंत्री हरित कृषि संयत्र योजना (अनुदान)		3001.00		3001.00	
2	मुख्यमंत्री हरित कृषि संयत्र योजना (चक्रीय पूँजी)		3001.00		3001.00	
3	एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (सहायक अनु॰)		1.00		1.00	
4	एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (चक्रीय पूँजी)		1.00		1.00	
	(ख) केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का योग		6004.00		6004.00	

X. पैक्सों में व्यावसायिक विविधीकरण की योजनाएँ

सहकारिता में सर्वसमावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की अपार क्षमता है। इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 6 जुलाई 2021 को भारत सरकार द्वारा 'सहकार से समृद्धि' के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक अलग 'सहकारिता मंत्रालय' का गठन किया गया। मंत्रालय के गठन के उपरांत इसने 'सहकार से समृद्धि' के तहत सहकारिता के विकास के लिए कई योजनाओं पर कार्य करना शुरू किया। इनमें सहकारी समितियों को गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) पर लाना, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण, बहु–राज्य सहकारी समिति, पैक्सों को बहु–उद्देश्यीय सहकारी समिति के रूप में विकसित करना, पैक्सों में जन–औषधि केन्द्र की स्थापना, पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट में पैक्सों को प्राथमिकता इत्यादि शामिल है। इन योजनाओं के अतिरिक्त पैक्सों में आदर्श उपविधि लागू करना, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के निर्माण भी पैक्सों के सुदृढीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस कार्य को सुगम बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहकारिता डाटाबेस तैयार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय सहकारिता डाटाबेस

राष्ट्रीय सहकारिता डाटाबेस के निर्माण का प्राथमिक लक्ष्य और उद्देश्य सूचना आधारित एक प्रणाली विकसित करना है, जहाँ एक क्लिक पर समितियों से संबंधित सभी सूचनाएँ प्राप्त की जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :

- जमीनी स्तर पर पहुंच और सभी क्षेत्रों में गतिविधियों के समन्वय को मजबूत करके देश में सहकारी आंदोलन को एक नए स्तर पर ले जाना।
- आर्थिक विकास के सहकारी आधारित समावेशी और टिकाऊ मॉडल को बढावा देना।
- परिचालन प्रक्रियाओं को आसान बनाना।

इसके तहत किए जा रहे कार्य निम्नवत है:

- इसके तहत प्रथम चरण में पैक्स, डेयरी एवं फिशरीज सहकारी समितियों को सहकारी पोर्टल पर मैपिंग किया गया।
- द्वितीय चरण में सभी राष्ट्रीय सहकारी समितियों एवं संघों को सहकारी पोर्टल पर मैपिंग किया गया।
- तृतीय चरण में अन्य प्रकार की सभी सहकारी समितियों को सहकारी पोर्टल पर मैपिंग किया गया।
- राज्य के सभी पंचायतों को सहकारी समितियों यथा पैक्स, डेयरी इत्यादि से आच्छादित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
- सहकारी समितियों से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के कुल 26640 समितियों से संबंधित डाटा का ऑनलाईन पोर्टल पर संग्रहण किया जा चुका है।

पैक्सों में कॉमन सर्विस केन्द्र की स्थापना

ई–सेवाओं की बेहतर पहुंच के लिए पैक्सों में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की जा रही है। इस योजना के तहत पैक्स ग्रामीण नागरिकों को बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन, स्वास्थ्य सेवाएँ, कानूनी सेवाएँ, कृषि उपकरण

जैसे कृषि उपादान, पैन कार्ड, आईआरसीटीसी, रेल, बस, हवाई टिकट बुकिंग, आरटीपीएस पर उपलब्ध सेवाओं जैसी 300 से अधिक सेवाएँ प्रदान कर सकेंगे। पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजना पैक्सों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में काम करने में मदद करेगा।

अब तक 5534 पैक्सों में कॉमन सर्विस केन्द्र की स्थापना किया जा चुका है, जिसमें से 2240 पैक्सों का आई0डी0 क्रियाशील हो चुका है।

पैक्सों के द्वारा नए किसान उत्पादक संगठन (FPOs) का गठन

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में 1100 अतिरिक्त एफपीओ के आवंटन का निर्णय लिया गया है। पैक्स भी अब FPO के रूप में कृषि संबंधित अन्य आर्थिक कार्यकलाप करने में सक्षम होगी। इसके माध्यम से सहकारी समिति अपने सदस्यों को आवश्यक बाजार लिंकेज प्रदान कर उनकी उपज के उचित मूल्य दिलाने में भी सहायक होगी। वित्तीय वर्ष 2023–24 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से 100 पैक्सों में FPO निबंधित करने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें से 98 पैक्सो का चयन हो चुका है।

पैक्स के द्वारा एलपीजी का वितरण

ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी का वितरण केन्द्र की पर्याप्त पहुंच नहीं है। परंतु पैक्सों को एलपीजी वितरण केन्द्र बनाए जाने के बाद ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक इसकी पहुंच आसान हो जाएगी। इससे पैक्सों को अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढाने का स्रोत मिलेगा और ग्रामीण स्तर पर रोजगार के नवीन अवसर उपलब्ध होंगें।

पैक्सों में पेट्रोल पम्प के रिटेल आउटलेट

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पैक्सों में रिटेल आउटलेट खोलने की सहमति दे दी गई है। वर्तमान में तीनों कम्पनियों के द्वारा CC2 कैटेगरी के तहत पैक्सों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पैक्सों में पेट्रोल पम्प के रिटेल आउटलेट की स्थापना के साथ ही पैक्सों के मुनाफे में वृद्धि होगी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगें। इसके माध्यम से पैक्सों को बहुद्देश्यीय व्यावसायिक संस्था के रूप में विकसित किए जाने में सहायता मिलेगी।

अभी तक 11 पैक्सों द्वारा आवेदन दिया गया है, जिसमें से 2 पैक्सों को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 द्वारा लाइसेंस प्राप्त हो चुका है।

पैक्सों में जन औषधि केन्द्र की स्थापना

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से पैक्सों में जन औषधि केन्द्र खोले जाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत सस्ती जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता सामान्य एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक आसानी से हो जाएगी। इस योजना के तहत उत्पाद बास्केट में 1759 दवाएं और 280 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं, जिन्हे जन औषधि केन्द्र के माध्यम से बेचा जा सकता है। इसके लिए सक्षम प्राधिकार से ड्रग लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इससे ग्रामीण स्तर पर सस्ती जेनरिक दवाइयाँ आम लोगों को उपलब्ध हो सकेगा। इसके अतिरिक्त पैक्सों के आर्थिक सुदृढीकरण के साथ–साथ रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी सृजित हो सकेंगें।

अभी तक इस योजना के तहत 34 पैक्सों द्वारा ड्रग लाइसेंस हेतु आवेदन किया गया है, जिसमें से 10 पैक्सों को ड्रग लाइसेंस प्राप्त हो चुका है।

प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र के रूप में पैक्स

भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में कार्यशील पैक्स को उर्वरक खुदरा विक्रेता के रूप में कार्य करने हेतु पात्र बनाए जाने, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्रों व उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन उद्यमियों के रूप में भी कार्य करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही ड्रोन का उपयोग संपत्ति सर्वेक्षण के लिए भी किया जा सकेगा। इन प्रयासों से किसानों को पैक्स स्तर पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चत होगी तथा पैक्स के लिए व्यवसाय के नए अवसर सृजित होंगें।

बिहार में 3106 पैक्सों को खाद बीज व्यवसाय का अनुज्ञप्ति प्राप्त है। जिसमें से अभी तक 1716 पैक्सों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र के रूप में विकसित किया जा चुका है।

पैक्सों में Micro-ATM एवं सदस्यों को Rupay किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा

पैक्सों को व्यापार में सुगमता, पारदर्शिता, वित्तीय समावेश सुनिश्चित करने हेतु नाबार्ड के सहयोग से 'घर बैठे वित्तीय सेवाएं' प्रदान करने के लिए Micro-ATM दिए जाने की योजना है। इससे बैंक और पैक्सों के आर्थिक क्रियाकलापों में वृद्धि होगी।

ग्रामीण सहकारी बैंकों की पहुंच तथा क्षमता का विस्तार करने तथा पैक्सों के सदस्यों को यथावश्यक चल निधि उपलबध कराने हेतु संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में पैक्स सदस्यों के खाते खोले जा रहें हैं तथा नाबार्ड के सहयोग से खाताधारकों को Rupay किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। Rupay किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैक्स सदस्यों को उचित दर पर ऋण की सुविधा उपलबध होगी। साथ ही इस कार्ड का उपयोग अन्य वित्तीय भुगतान के लिए भी किया जा सकेगा।

3. सहकारी कृषि साख संरचना एवं उपलब्धियाँ

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य रहा है। यहाँ की लगभग 80 प्रतिशत आबादी कृषि पर ही आधारित है। खास कर बिहार विभाजन के पश्चात् इस राज्य की अर्थ व्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है। कृषि पर निर्भर रहने वाले विशेष कर सीमान्त कृषकों को खरीफ एवं रब्बी फसल के मौसम में अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने, कृषि इनपुट की व्यवस्था करने तथा कृषि उपज की विपणन की व्यवस्था सहकारिता विभाग के माध्यम से की जा रही है तथा सहकारिता विभाग इसमें सतत् प्रयत्नशील है।

I. अल्पकालीन सहकारी कृषि साख (त्रिस्तरीय ढ़ाँचा)

सहकारिता के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन कृषि ऋण मुहैया कराने के निमित सहकारी समिति की संरचना त्रिस्तरीय है। राज्य स्तर पर बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 एवं प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) गठित है। बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0 नाबार्ड से पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त कर तथा अपने संसाधनों से जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से पैक्स के कृषक सदस्यों को पर्याप्त मात्रा में तथा ससमय अल्पकालीन कृषि साख उपलब्ध कराती है। अल्पकालीन कृषि साख को सरल बनाने एवं ससमय उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही अल्पकालीन कृषि साख मुहैया कराया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रारम्भ से अबतक 11,65,810 कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत कर 196042.87 लाख रुपये स्वीकृत किया गया है। भारत सरकार की घोषणा के अनुसार सभी किसान क्रेडिट कार्डधारी कृषकों को Debit-cum-Rupay कार्ड मुहैया कराया जा रहा है। इस प्रकार राज्य सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं पैक्स सहकारी आन्दोलन के परिकल्पना के अनुरुप कृषि साख व्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अल्पकालीन साख संरचना को सुदृढ़ एवं जीवन्त बनाने के उद्देश्य से वैद्यनाथन कमिटी के अनुशंसा के आलोक में अल्पकालीन साख संरचना को और अधिक प्रजातांत्रिक, सुदृढ एवं जीवन्त बनाया जा रहा है।

विगत 5 वर्षों में अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण की स्थिति निम्नवत् है:–

(रुपये लाख में)

वर्ष	लक्ष्य	सदस्य की संख्या	उपलब्धि	लक्ष्य के अनुरुप उपलब्धि का प्रतिशत
2018–19	60063	90654	23323.85	38.83%
2019–20	50000	77506	19776.60	39.54%
2020–21	50000	72987	20425.45	40.85%
2021–22	50050	87358	22645.76	45.25%
2022–23	51250	92612	27160.64	53.00%
2023–24 (31.01.2024 तक)	49669	52958	16013.94	32.24%

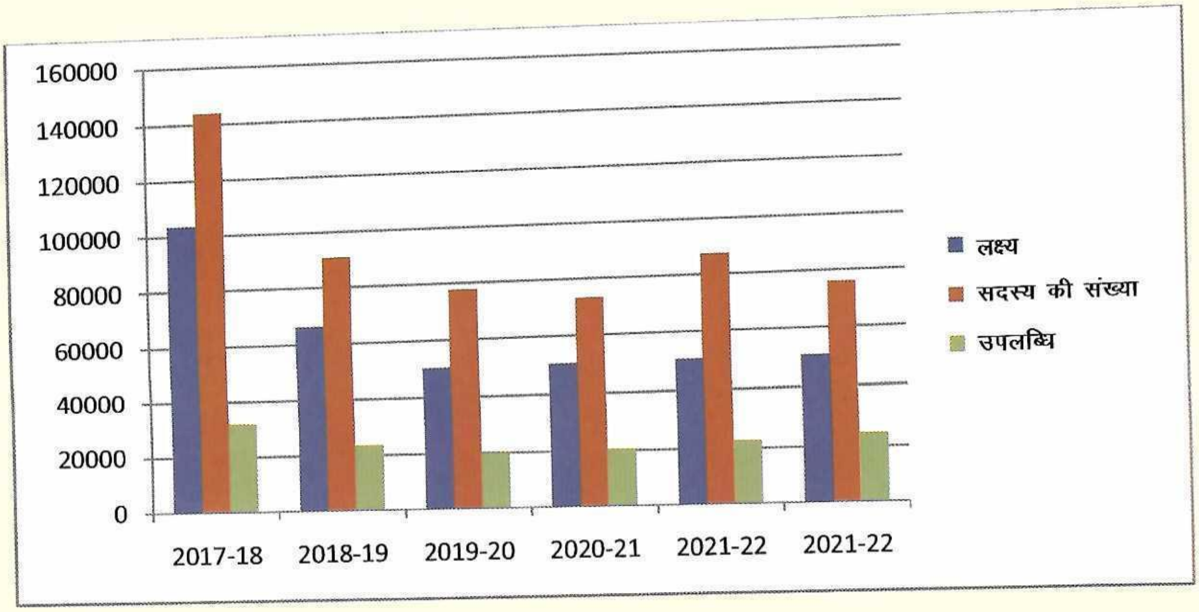

विगत 5 वर्षों का अल्पकालीन सहकारी ऋण का मॉग एवं वसूली की प्रगति निम्नवत् है:–

(रुपये लाख में)

वर्ष	मॉग	वसूली	अवशेष	प्रतिशत
2018–19	75811.50	21106.78	54704.72	27.84%
2019–20	75015.27	20290.44	54724.83	39.54%
2020–21	72550.12	22798.68	49751.44	31.42%
2021–22	70823.18	20831.87	49991.31	29.41%
2022–23	71662.53	11999.51	59663.02	16.74%

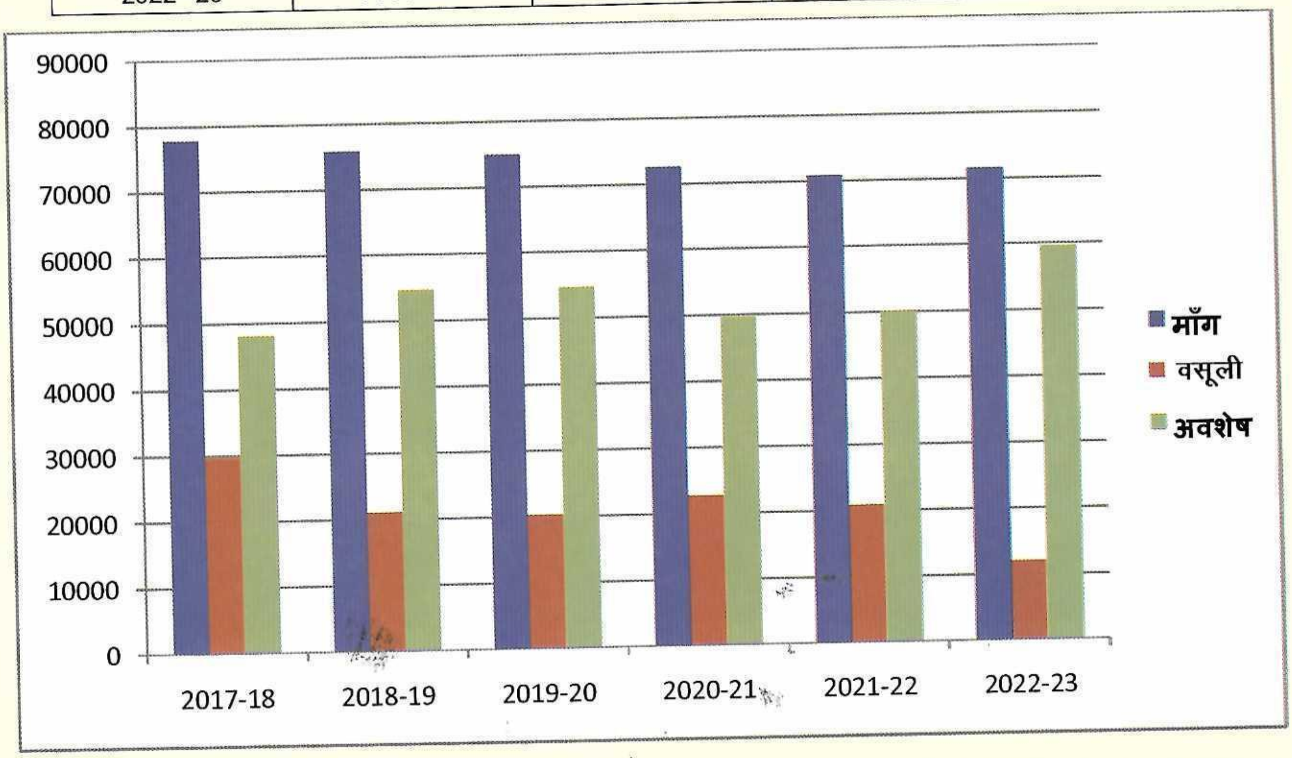

II. राज्य सहकारी बैंक लि0

अल्पकालीन सहकारी कृषि साख की त्रिस्तरीय संरचनात्मक बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, शीर्ष सहक संस्था है, जो राज्य स्तर पर सहकारी कृषि साख संरचना का नेतृत्व प्रदान कर रहा है। यह बैंक नाबार्ड से पुनवि सुविधा प्राप्त कर तथा अपने संसाधनों से जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से पैक्सों के कृषक सदस्यों अल्पकालीन कृषि साख (ऋण) उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

राज्य अन्तर्गत बिहार राज्य सहकारी बैंक की 23 शाखायें कार्यरत है, जो पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत है। इ शाखाओं द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के साथ–साथ गैर कृषि यथा वैयक्तिक ऋण, उपभोक्ता ऋण, गृह निर्मा शिक्षा ऋण एवं कार ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। विगत कुछ वर्षों में इस बैंक की कार्य संस्कृति एवं क प्रणाली में गुणात्मक परिवर्तन आया है, जिसके फलस्वरूप यह बैंक कई वर्षों से लाभ में है।

इस बैंक का मुख्य उद्धेश्य राज्य के लघु एवं सीमान्त कृषकों को खरीफ एवं रबी फसल के लिए उनके सा जरूरतों को पूरा करने हेतु जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंक और पंचायत स्तरीय प्राथमिक कृषि साख सहय समिति (पैक्सों) के माध्यम से अल्पकालीन कृषि ऋण मुहैया कराने के साथ–साथ वेतनभोगी एवं कमजोर तबके लोगों को भी वांछित ऋण उपलब्ध कराना है। राज्य सहकारी बैंक के सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग लागू है। वर्तम में शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के सभी नियामक मापदण्डों का अनुपालन कर रही है।

विगत चार वर्षों में राज्य सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति निम्नवत हैः–

(Rs.in Lakh)

Sl. No.	Particulars	As on 31-03-2020	As on 31-03-2021	As on 31-03-2022	As on 31-03-2023
1	Deposits	123318.59	119897.28	130784.44	144744.35
2	Loan Outstandig	**181950.74**	**354745.05**	**436325.02**	**592977.11**
3	Share Capital	2954.60	3621.48	4226.74	4777.62
4	Reserve & Surplus	52167.30	64552.89	72132.62	79494.87
5	Borrowings	154248.05	296291.35	436239.59	631335.67
6	**Gross NPA**	**8874.46**	**6599.54**	**10150.75**	**12817.43**
7	**NPA %**	**4.88%**	**1.86%**	**2.32%**	2.16%
8	CRAR	**25.76%**	**68.51%**	**53.24%**	48.87%
9	**Net Profit**	**4885.47**	**7677.39**	**10419.37**	**7615.85**

III. केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0.

केन्द्रीय सहकारी बैंक त्रिस्तरीय अल्पकालीन साख संरचना में राज्य सहकारी बैंक एवं पैक्स के बीच कड़ी का काम करता है। यह मध्यवत्ती वित्त पोषक बैंक है। यह बैंक प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) के केन्द्रीय समिति के रूप में अल्पकालीन सहकारी कृषि साख संरचना में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। केन्द्रीय सहकारी बैंक के क्षेत्राधीन में सभी पैक्स अनिवार्य रूप से उसके सदस्य होतं हैं। राज्य में कुल 23 (तेईस) केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत है। राज्य के सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त है। राज्य में तीन केन्द्रीय सहकारी बैंक यथा सारण, दरभंगा एवं मधेपुरा परिसमापनाधीन है। इन जिलों में कृषकों को अल्पकालीन कृषि साख उपलब्ध कराने के निमित्त राज्य सहकारी बैंक की शाखा/विस्तारित शाखा कार्य कर रहा है। इन जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंक नहीं है उन जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंक गठित करने की कार्रवाई की जा रही है। सभी केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा उनके शाखा कम्प्यूटरीकृत है। साथ ही सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के शाखाओं में कोर बैंकिंग लागू है।

केन्द्रीय सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति निम्नवत् है:-

Statement showing District Central Co-operative Bank wise financial position for the year 2022-23 as on 31.03.2023

(Amount Rupees in lakh)

Sl. No.	Name of DCCB	Deposit	Loans & Advances Outstanding	Share Capital	Reserve & Surplus	Borrowings
1	Nalanda	20144.32	22904.41	852.32	1415.63	15244.99
2	Patliputra	37684.44	41561.86	1001.21	4414.64	30253.08
3	Magadh	12737.74	32355.81	1779.7	1895.63	26158.67
4	Nawada	11976.73	19903.47	3071.73	2772.32	13199.7
5	Ara	51384.88	57176.45	1715.06	1625.32	39272.67
6	Sasaram-Bhabhua	28392.55	79147.43	4126.27	1704.13	59093.23
7	Bhagalpur	19105.59	6963.39	751.09	5823.84	2675.97
7	Munger-Jamuui	12091.46	14751.24	4239.42	2578.75	6929.97
8	Begusarai	23091.25	8350.06	890.13	1672.71	7844.28
9	Purnea	14902.76	42671.44	3856.61	3372.96	36997.05
10	Muzaffarpur	9287.77	17487.00	520.02	412.87	17357.12
11	Sitamarhi	15598.54	19417.37	346.48	1540.98	18834.63
12	Rohika	11422.38	28069.31	3733.08	2666.42	24995.72

13	Bettiah	16198.41	23309.94	579.71	1192.95	15558.47
14	Motihari	12593.61	42180.90	1637.75	4153.77	37820.78
15	Siwan	34805.82	16922.68	991.59	1940.43	5092.51
16	Gopalganj	37680.61	16004.94	1098.16	4252.55	8473.71
17	Aurangabad	12617.28	32271.42	2195.02	2876.18	21455.25
18	Khagaria	2669.08	10778.45	850.67	-60.34	13744.21
19	Katihar	6245.85	15008.65	3499.26	994.01	12881.10
20	Vaishali	6535.18	4736.11	935.41	1897.20	3066.60
21	Samastipur	12212.56	14171.84	870.80	698.75	8370.19
22	Supaul	2465.06	21878.54	606.23	186.44	20928.81
23	BSCB	144744.35	592977.11	4777.62	79494.87	631335.67
	Total	**556588.22**	**1180999.82**	**44925.34**	**129523.01**	**1077584.38**

IV. प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स)

राज्य में सहकारी समितियों की संरचना त्रिस्तरीय है। राज्य स्तर पर बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰ एवं प्राथमिक स्तर पर कुल–8463 प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) पर कार्यरत है। पैक्स राज्य के कृषकों के साथ साथ राज्य के विकास का आधार स्तंभ है। पैक्स का प्रबंधन 13 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता हैं। जिनका निर्वाचन प्रत्येक पाँच वर्ष पर बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा कराया जाता है। पैक्स के प्रबंध समिति में 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए पद आरक्षित है। 2 पद पिछड़ा वर्ग 2 पद अतिपिछड़ा वर्ग, 2 पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है।

पैक्स का मुख्य कार्य अपने सदस्यों के लिए आगत (Input) की व्यवस्था करना एवं उनके उत्पादों के विपणन में सहयोग करना है। इस क्रम में पैक्स द्वारा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की प्राथमिक इकाई के रूप में अपने सदस्यों को सहकारी बैंक के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड ऋण उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही उर्वरक, बीज, कीटनाशक इत्यादि की उपलब्धता हेतु भी कार्य किया जाता है। पैक्सों द्वारा आधुनिक कृषि यंत्रों की सेवा लघु एवं सीमान्त कृषकों तक पहुँचाया जा रहा है। पैक्सों द्वारा जमावृद्धि व्यवसाय एवं जन वितरण प्रणाली के दुकानों का भी संचालन किया जाता है।

पैक्सों द्वारा सबसे महत्वपूर्ण रुप से सरकार द्वारा संचालित अधिप्राप्ति कार्य के तहत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनके उत्पादों (धान/गेहूँ) का क्रय किया जाता है। पैक्सों द्वारा सभी लघु एवं सीमांत किसानों तक कृषि कार्य संबंधी सभी सुविधाएँ पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है।

राज्य में पैक्स की सदस्यता से वंचित परिवार के सदस्यों को सदस्यता दिलाने हेतु विभाग द्वारा ऑन लाईन सदस्यता की व्यवस्था की गयी है। विभागीय वेबसाईट www.cooperative.bih.nic.in के माध्यम से कोई भी इच्छुक व्यक्ति ऑन लाईन आवेदन कर पैक्स का सदस्य बन सकता है। इसके तहत अब तक 4.6 लाख आवेदकों को पैक्स का सदस्य बनाया जा चुका है। इस प्रकार पैक्सों में कुल सदस्यों की संख्या 1.59 करोड़ हो गयी है। इनमें महिला सदस्यों की संख्या लगभग 36 लाख एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के 17.78 लाख सदस्य बनाये गये है; जो सहकारिता से जुड़ कर अपनी आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में सहयोग प्राप्त कर रहे है।

ग्रामीण विकास केन्द्र के रूप में पैक्स की अवधारणा

- कृषि चक्र की समग्र आवश्यकताओं यथा खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि उत्पादों का भण्डारण, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु पैक्स को मजबूत संस्था के रूप में विकसित करना
- पैक्स क्षेत्रान्तर्गत योग्य एवं इच्छुक व्यक्तियों हेतु ऑन–लाईन माध्यम से सदस्य बनने की व्यवस्था
- पैक्सों के आन्तरिक कार्यकलाप में दक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु पैक्स कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम प्रक्रियान्तर्गत
- पैक्स में कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना प्रक्रियान्तर्गत

V. सहकारी ऋण वितरण

Annual Credit Plan (ACP) अंतर्गत ऋण वितरण–

राज्य के कृषक सदस्यों को सहकारी बैंक द्वारा अल्पकालीन सहकारी ऋण उपलब्ध कराया जाता है। सहकारी बैंकों हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में Annual Credit Plan (ACP) अंतर्गत निर्धारित कुल लक्ष्य 4066 करोड़ रुपये के विरूद्ध 10233 करोड़ रुपये का वित्त पोषण किया गया, जो लक्ष्य का 251.65 प्रतिशत है। पुनः वर्ष 2022–23 में Annual Credit Plan (ACP) अंतर्गत निर्धारित कुल लक्ष्य 4276 करोड़ रुपये के विरूद्ध 10312.01 करोड़ रुपये का वित्त पोषण किया गया, जो लक्ष्य का 241.15 प्रतिशत है। वर्ष 2023–24 में दिनांक 16.01.2024 तक कुल 48787 कृषकों को 150 करोड़ रूपये का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण वितरण किया गया है।

किसान क्रेडिट कार्ड :–

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल 87358 कृषकों को 225.56 करोड़ रु० (दो सौ पच्चीस करोड छप्पन लाख) का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण वितरित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 92612 कृषकों को 271.60 करोड़ रु० (दो सौ एकहत्तर करोड साठ लाख) का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण वितरित किया गया है। पुनः वित्तीय वर्ष 2023–24 में दिनांक 31.01.2024 तक कुल 52958 कृषकों को 160.13 करोड़ रु0 (एक सौ साठ करोड़ तेरह लाख) का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण वितरित किया गया है।

पैक्स कम्प्युटरीकरण

सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा केन्द्र पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजना को सहकारिता विभाग के संकल्प संख्या 9581 दिनांक 30.11.2022 द्वारा राज्य में लागू किया गया है। कम्प्यूटरीकरण योजना का उद्देश्य पंचायत स्तर पर गठित पैक्स के माध्यम से संचालित कार्यप्रणाली, व्यवसाय आदि कार्यों को सुगम एवं पारदर्शी बनाना, सटीकता एवं एकरूपता लाना है। साथ ही उनकी दक्षता एवं लाभ प्रदत्ता में वृद्धि करते हुए भविष्य में उन्हे मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में विकसित करना है। योजनान्तर्गत राज्य में वर्तमान विद्यमान ग्राम पंचायत के सह अंतक सभी पैक्सों को चरणबद्ध रूप से वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2026–27 की अवधि में कम्प्यूटरीकृत करने हेतु केन्द्रांश के रूप में कुल 149.40 करोड़ रूपए एवं राज्यांश के रूप में 99.60 करोड़ रूपए अर्थात कुल 249.00 करोड़ रूपए व्यय किया जाएगा। प्रथम चरण में 4477 पैक्सों के कम्प्यूटरीकरण की कार्रवाई की जा रही है।

पैक्स में सदस्यता

राज्यान्तर्गत पैक्स की सदस्यता से वंचित परिवार के सदस्यों को सदस्यता दिलाने हेतु विभाग द्वारा ऑनलाईन सदस्यता की प्रक्रिया कार्यान्वित की गयी है। इसके माध्यम से कोई भी इच्छुक व्यक्ति ऑनलाईन आवेदन कर पैक्स का सदस्य बन सकता है।

4. सहकारी समितियों का लेखा अंकेक्षण

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (यथा संशोधित, 2013) के अन्तर्गत निबंधित सहकारी समितियों के लेखा का प्रत्येक वर्ष अंकेक्षण, वैधानिक अनिवार्यता है। निबंधक, सहयोग समितियाँ के नियंत्रणाधीन अंकेक्षण पदाधिकारियों द्वारा सहकारी समितियों के वैधानिक अंकेक्षण, जाँच अंकेक्षण एवं विशेष अंकेक्षण सम्पन्न किये जाते हैं। सहकारी समितियों के अंकेक्षण का मूल उद्देश्य समितियों के वार्षिक लेखाओं का अधिनियम, नियमावली एवं समिति के उपविधि प्रावधानों के अन्तर्गत जाँच कर समिति की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन/सत्यापन/ त्रुटियों/अनियमितताओं/दायित्वों का निर्धारण एवं सुधारात्मक उपायों का परामर्श देना है। सहकारी समितियों का अंकेक्षण हेतु विभागीय अंकेक्षकों के अलावे चार्टड एकाउन्टेन्ट्स का पैनल भी निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा स्वीकृत है, जिन्हें परिपत्रानुसार समितियों के अंकेक्षण का दायित्व सौपा गया है।

वर्तमान वर्ष 2022–2023 एवं विगत् 2 वर्षो (2020–2021 एवं 2021–22) में सहकारी समितियों में अंकेक्षण की प्रगति निम्नवत् है :–

क्र०सं०	समितियों की कुल संख्या		अंकेक्षण वर्ष	अंकेक्षण की स्थिति	
	पैक्स	व्यापार मंडल		पैक्स	व्यापार मंडल
1	8463	523	2020–21	8150	446
2			2021–22	7813	357
3			2022–23	6964	259
			(22.01.2024 तक)		

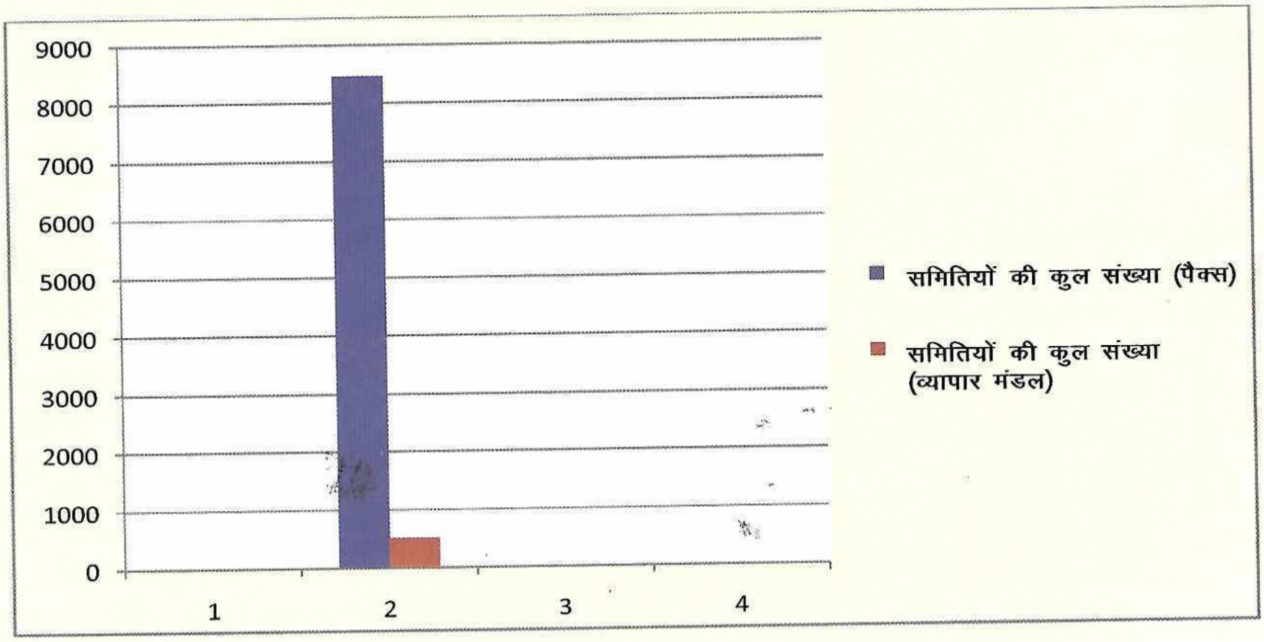

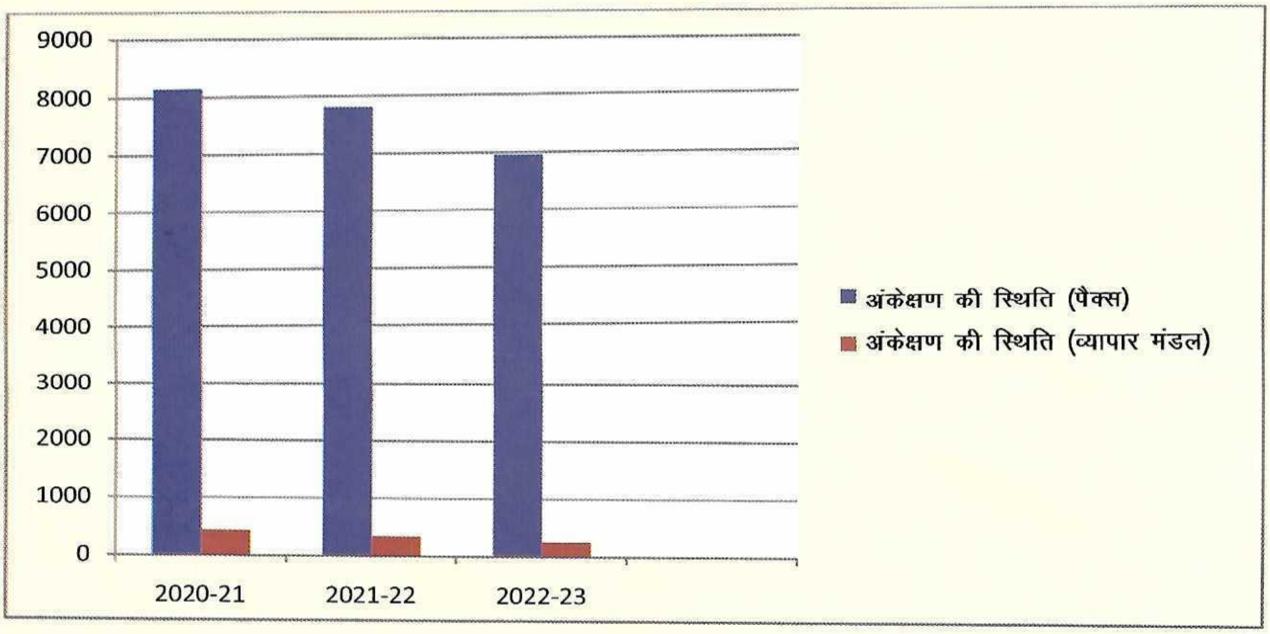

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1996 (यथा संशोधित, 2013) के अनुसार सहकारी समितियाँ अपनी लेखाओं का अंकेक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम–से–कम एक बार, इस हेतु राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा अनुमोदित नामावली के अंकेक्षक द्वारा करायेगी। ऐसा अंकेक्षक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत या तो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट होगा या निबंधक के कार्यालय का अंकेक्षक होगा।

प्रत्येक सहकारी समिति के लेखाओं का अंकेक्षण सहकारी समिति के सामान्य निकाय द्वारा नियुक्त उप–धारा (2) में विर्निर्दिष्ट अंकेक्षक अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्म द्वारा किया जायेगा।

जहाँ कोई सहकारी समिति समय पर अपने वार्षिक लेखाओं का अंकेक्षण कराने में असफल हो, वहाँ नियत तारीख से (90) नब्बे दिनों के भीतर निबंधक, सहकारी समिति के लेखाओं का अंकेक्षण करायेंगे। ऐसे अंकेक्षण संचालन करने का खर्च सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।

5. प्रशिक्षण एवं कार्यशाला

बिहार में सहकारी समितियों में सुधार के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों की सहकारी समितियों का भ्रमण एवं कार्यशाला/प्रशिक्षण का आयोजन :–

दिनांक–12.09.2023 को वर्द्धमान जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० (प०बंगाल) का अध्ययन करने हेतु संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग के नेतृत्व में तीन सदस्यीय अध्ययन दल द्वारा भ्रमण किया गया जहाँ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० एवं उससे संबद्ध "स्वास्ति समवंय कृषि उन्नयन समिति लि०" के कार्यप्रणाली एवं व्यवसाय का अध्ययन किया गया। दिनांक–29.09.2023 से 30.09.2023 तक अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग के नेतृत्व में छः सदस्यीय अध्ययन दल द्वारा उत्तराखण्ड भ्रमण कर मियाँवाला बहुद्देशीय सहकारी समिति लि०, देहरादून, झाझरा बहुद्देशीय सहकारी समिति लि०, देहरादून लाल ढांग बहुद्देशीय सहकारी समिति लि०, हरिद्वार एवं अन्य सहकारी समितियों के कार्यकलापों का अध्ययन किया गया। विभाग द्वारा बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा एवं बिहार अंकेक्षण सेवा के पदाधिकारियों को चरणबद्ध रूप में माह अक्टूबर 2023 में बैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान में 'क्षमता निर्माण कार्यक्रम' के अन्तर्गत प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। प्रशिक्षण के क्रम में मुख्य रूप से पूणे DCCB की कार्यप्रणाली एवं व्यवसाय के संबंध में स्थल भ्रमण कराया गया।

माह अक्टूबर में ही मिर्जापुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, उत्तरप्रदेश के कार्यकलापों का अध्ययन करने हेतु विभाग द्वारा चार सदस्यीय अध्ययन दल भेजा गया था।

दिनांक–20.09.2023 को पैक्सों में व्यावसायिक विविधिकरण हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन उर्जा ऑडिटोरियम, पटना में किया गया जिसमें सभी जिलों से चयनित पैक्स अध्यक्ष, प्रबंधक एवं कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा भाग लिया गया।

दिनांक– 04.11.2023 को उर्जा ऑडिटोरियम, पटना में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अन्तर्गत गठित प्रखण्ड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति के अध्यक्षों एवं सदस्यों हेतु एक दिवसीय कार्यशाला–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया

दिनांक–28.10.2023 को C.P Palace पटना में राज्य के सभी केन्द्रीय सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधकों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया।

दिनांक–14.11.2023 को सहकारिता सप्ताह का आयोजन उर्जा ऑडिटोरियम, पटना में किया गया जिसमें सभी जिलों से प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। दिनांक 24.11.2023 को पैक्सों में व्यावसायिक विविधीकरण के संबंध में एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन बापू सभागार, अशोक कन्वेंशन सेन्टर, गाँधी मैदान, पटना में किया गया था, जिसमें राज्य के लगभग 4000 पैक्स के अध्यक्षों एवं प्रबंधकों ने भाग लिया था। राजगीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेन्टर, राजगीर में नालन्दा, नवादा एवं शेखपुरा जिला के शत–प्रतिशत पैक्सों के अध्यक्षों एवं प्रबंधकों को पैक्सों में व्यावसायिक विविधीकरण विषयक एकदिवसीय कार्यशाला–सह–प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक 15.12.2023 को किया गया है।

वर्ष 2023–24 में 84 बिहार सहकारिता प्रशासनिक एवं अंकेक्षण सेवा के पदाधिकारी, 380 सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, 175 अंकेक्षण पदाधिकारी, 212 लिपिक एवं 5800 समिति अध्यक्ष/प्रबंधक का प्रशिक्षण कराया गया है।

राज्य में एक मात्र सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, पूसा समस्तीपुर में कार्यरत है। संस्थान के सम्पूर्ण परिसर को पुनर्जीवित एवं सुसज्जित कर समिति अध्यक्ष/प्रबंधकों एवं सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

आगामी वर्ष 2024–25 में राज्य के सभी पैक्स अध्यक्ष/प्रबंधकों को व्यावसायिक विविधीकरण से संबंधित प्रशिक्षण विकेन्द्रीकृत रूप से प्रमंडल/जिला स्तर पर कराया जाना प्रस्तावित है।

6. महत्वपूर्ण सहकारी संस्थान

i. सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर

सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर राज्य सरकार द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1955–56 में हुई है। जिसमें प्रशासनिक भवन के साथ–साथ प्रशिक्षार्थियों के आवास की सुविधा उपलब्ध है। इस संस्थान के सफल संचालन हेतु संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल की अध्यक्षता में एक संचालन कमिटी गठित है। जिसके सचिव प्राचार्य, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा हैं, तथा सदस्य के रूप में जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी समस्तीपुर एवं प्रबंध निदेशक समस्तीपुर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰ नामित है।

विगत वर्षों में प्रशिक्षण केन्द्र का कार्यकलाप ठप्प था, वर्ष 2016 में इसे पुर्नजीवित किया गया, जिसके अन्तर्गत तीस प्रशिक्षणार्थियों के लिए एक छात्रावास का निर्माण कराया गया तथा इस के संचालन हेतु एक कॉरपस फंड का गठन किया गया है, जिसमें संबद्ध सहकारी संस्थाओं से अंशदान के मद में प्राप्त राशि से प्राप्त होने वाले ब्याज की राशि से प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किया जाता है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में पैक्स अध्यक्ष एवं प्रबंधकों सहित सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों का प्रशिक्षण सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा में संचालित किया जा रहा है।

i. प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार

उपभोक्ता परिक्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार गठित है। इसका कार्यक्षेत्र शहरों तक ही सीमित है। इसका मुख्य कार्य शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण रहा है। अधिकांश प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार लगभग निष्क्रिय है। कुछ प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार जनवितरण प्रणाली के कार्य में संलग्न हैं।

ii. व्यापार मंडल

व्यापार मंडल सहयोग समितियाँ प्रखंड स्तर की पणन सहकारी समिति है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषकों को उनके कृषि उत्पाद में प्रयुक्त होने वाले वस्तुओं यथा खाद, बीज, कीटनाशक दवा आदि की व्यवस्था के साथ–साथ कृषि उत्पाद का पणन रहा है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (पैक्स) अनिवार्य रूप से व्यापार मंडल के सदस्य होते हैं। प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल का पुनर्गठन कर लगभग प्रत्येक प्रखंड में व्यापार मंडल का गठन किया गया है। गठित व्यापार मडलों के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार से कराकर प्रजातांत्रिक प्रबंधन बहाल कर दिया गया है। वर्त्तमान में राज्य में 523 प्रखंड स्तरीय व्यापार मंडल गठित हैं।

7. बिहार राज्य भंडार निगम

वित्तीय वर्ष 2023–24 में निगम की उपलब्धि एक झलक में :–

बिहार राज्य भंडार निगम (Bihar State Warehousing Corporation) केन्द्रीय भंडारण निगम एवं बिहार सरकार का एक संयुक्त लोक उपक्रम है, जो विशेष केन्द्रीय विधान दी वेयरहाउसिंग एक्ट, 1962 (The Warehousing Act, 1962) एवं तत्संबंधी नियमावली के अधीन संचालित है।

1. स्थापना :

बिहार राज्य भंडार निगम (बिहार स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन) पटना की स्थापना कृषि उत्पाद (विकास एवं भण्डारण) निगम अधिनियम, 1956 (Agricultural Produce (Development and Warehousing) Corporation Act 1956) के अधीन केन्द्रीय भंडार निगम (cwc) के अनुमोदन के पश्चात् मार्च, 1957 में बिहार सरकार विकास (सहकारिता) विभाग की अधिसूचना संख्या–3330 दिनांक 29.03.1957 के द्वारा हुई। उक्त अधिसूचना के द्वारा इसका मुख्यालय, पटना में निर्धारित किया गया। कालक्रम में Agricultural Produce (Development and Warehousing) Corporation Act 1956 के स्थान पर Warehousing Act 1962 लागू हुआ, जिसके अन्तर्गत सम्प्रति बिहार स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (बिहार राज्य भंडार निगम) अर्थात BSWC कार्यरत है।

बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित –– राज्य भंडारण ऐजेंसी :

बिहार राज्य भंडार निगम को बिहार सरकार सहकारिता विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या–3250 दिनांक 12.12.1996 के द्वारा "राज्य भंडारण एजेंसी" के रूप में घोषित किया गया, जिसके अन्तर्गत सभी सरकारी विभागों, स्वशासी निकायों, लोक उद्यमों एवं उपक्रमों को यह निदेशित किया गया है कि भविष्य में वे अपने स्तर से निजी गोदामों को भाड़ें पर नहीं लेंगे बल्कि वे स्थायी रूप से अपनी आवश्यकता बिहार राज्य भंडार निगम, पटना को अधिसूचित करेंगे। बिहार राज्य भंडार निगम, पटना अपने गोदामों के उपलब्ध होने पर आरक्षण प्रदान करेगा। गोदाम अनुपलब्धता की स्थिति में अन्य विभागों / स्वशासी निकायों / लोक उद्यमों एवं उपक्रमों / सहकारी समितियों अथवा निजी श्रोतों से गोदाम को भाड़े पर लेकर अधियाची संस्थान को उपलब्ध कराएगा।

2. उद्देश्य :

- सामग्रियों का वैज्ञानिक एवं सुरक्षित भंडारण।
- खाद्यान्न, उर्वरक, दवा एवं अधिसूचित सामग्रियों का भंडारण।

3. कार्य:

बिहार राज्य भंडार निगम (बिहार स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन) का मुख्य कार्य निम्नवत् हैः–

- राज्य में कृषि उत्पादों / खाद्यान्नों, उर्वरकों, बीज तथा कृषि संयंत्रों एवं सरकार द्वारा अधिसूचित वस्तुओं के भंडारण हेतु गोदाम का अर्जन एवं गोदामों का निर्माण करना।
- कृषि उत्पाद तथा अन्य अधिसूचित वस्तुओं के संचयन के लिए राज्य में गोदामों का परिचालन करना।

- कृषि उत्पाद तथा अन्य अधिसूचित वस्तुओं के लिए परिवहन एवं हथलन व्यवस्था उपलब्ध कराना।
- राज्य सरकार एवं केन्द्रीय भंडारण निगम के एजेन्सी के रूप में कृषि उत्पाद एवं अन्य अधिसूचित वस्तुओं के क्रय, विक्रय, भंडारण एवं वितरण में सहयोग करना।
- सरकार एवं केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा निर्धरित कार्यों का संपादन।

4. हिस्सा पूँजी / अंश–पूँजी (Share Capital & Paid up Capital) :

निगम का अधिकृत अंश पूँजी 10.00 करोड़ है। निगम में केन्द्रीय भंडारण निगम एवं राज्य सरकार का क्रमशः 50:50 प्रतिशत हिस्सा पूँजी है। संप्रति केन्द्रीय भंडारण निगम एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अंश पूँजी 642.00 लाख है, जिसकी विवरणी अग्रांकित हैः–

हिस्सा पूँजी (Share Capital)	
केन्द्रीय भंडारण निगम	500.00
बिहार सरकार	500.00
कुल रु	1000.00
प्रदत्त अंश पूँजी (Paid up Capital)	
केन्द्रीय भंडारण निगम	321.00
बिहार सरकार	321.00
कुल रु	642.00

6. लाभांश (Dividend) :

अंशधारियों केन्द्रीय भंडारण निगम एवं राज्य सरकार को यथानिदेशित रूप से वित्तीय वर्षवार लाभांश देय हैं।

7. मुख्य सामग्रियों का भंडारण :

खाद्यान्न, दवा, उर्वरक, सीमेंट, दाल, बीज, जूट, सूर्यमुखी बीज, नीरा, उड़द, मसूर, डी.डी.टी. अभियंत्राण सामग्री, पुस्तक, कागज, तौलाई मशीन, लोहा, इलेक्ट्रॉनिक मतपेटी आदि।

8. मुख्य जमाकर्त्ता

भारतीय खाद्य निगम, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, इफ्फको, जनगणना निदेशालय, आर.सी.एफ. लि., पुस्तक निगम, केन्द्रीय भंडारण निगम, कॉम्फेड, सब्जी प्रसंस्करण निगम, व्यापारी, कृषक, बिहार मेडीकल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. अल्ट्राटेक, ओरिगो लिमिटेड इत्यादि। संप्रति निगम का अधिकांश गोदाम भारतीय खाद्य निगम द्वारा आरक्षित है।

9. अद्यतन भंडारण क्षमता

- अद्यतन भंडारण क्षमता :– 8.22 लाख मे0 टन।
- अद्यतन गोदाम उपलब्धता विवरणीः–

(क)	निगम द्वारा स्वनिर्मित गोदाम	2,09,493 मे. टन
(ख)	कृषि रोड मैप योजनांतर्गत निर्मित गोदाम	3,10,000 मे. टन
(ग)	पी.ई.जी. योजनांतर्गत निर्मित गोदाम	2,20,000 मे. टन
(घ)	किराया का गोदाम (बिहार)	53,218 मे. टन
(ङ॰)	किराया का गोदाम (झारखंड)	30,112 मे. टन
	कुल क्षमता	8,22,823 मे. टन

1. भंडारण शुल्क :

बिहार राज्य भंडार निगम के गोदामों के लिए केन्द्रीय भंडारण निगम का संसूचित दर सामान्य रूप से प्रभावी है। भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य खाद्य निगम के संदर्भ में यथानिदेशित दर व्यवस्था है। वर्त्तमान भंडारण शुल्क विवरणी अग्रानुसार हैः–

खाद्यान्न	रु. 99.20 प्रति मे. टन प्रति माह (भारतीय खाद्य निगम)
	रु. 64.00 प्रति मे. टन प्रति माह (राज्य खाद्य निगम)
उर्वरक	रु. 80.00 प्रति मे. टन प्रति माह (CWC दर पर)
क्षेत्रफल दर	रु. 19.43 प्रति वर्गपफीट प्रति माह (CWC दर पर)

➢ **मानव बल :–**

कुल स्वीकृत पद – 527

निगम में कार्यरत कुल मानव बल (नियमित / संविदा एवं आउटसोर्सिंग) – 499

➢ **भंडारगृह विवरणी :–**

निगम में कार्यरत प्रमंडल – 6 (मुजफ्फरपुर, पटना, मगध, पूर्णिया, भागलपुर, एवं राँची)

कुल भंडारण गृहों की संख्या – 63 (बिहार 55, झारखण्ड 8)

➢ **बिहार राज्य अन्तर्गत भंडारगृहों के नाम :–**

मुजफ्फरपुर प्रमंडल	पटना प्रमंडल	मगध प्रमंडल	पूर्णियाँ प्रमंडल	भागलपुर प्रमंडल
मुजफ्फरपुर	आरा	गया (दुर्गावाड़ी)	गुलाबबाग	बरौनी
बेतिया	आरा (ARM)	जहानाबाद	गुलाबबाग पी.ई.जी.	भागलपुर
बेतिया पी.ई.जी.	आरा पी.ई.जी.	वारसलीगंज	कसबा	नौगछिया

मोतीहारी	बिहटा	सासाराम	जानकीनगर	खगड़िया पी.ई.जी.
मोतीहारी पी.ई.जी.	बिहटा पी.ई.जी.	मोहनियाँ	फारबिसगंज	बेगुसराय
सीतामढ़ी	फतुहाँ	मोहनियाँ पी.ई.जी.	फारबिसगंज पी.ई.जी.	बेगुसराय पी.ई.जी.
समस्तीपुर	बिहारशरीपफ	नटवार	कटिहार	जमुई पी.ई.जी.
छपरा	बिहारशरीपफ पी.ई.जी.	औरंगाबाद पी.ई.जी. (ए. एन. रोड)	मधेपुरा (सिंहेश्वरस्थान)	लखीसराय
नरकटियागंज	मसौढ़ी	औरंगाबाद पी.ई.जी. (ओबरा)	मधेपुरा (रसना)	
गोपालगंज पी.ई.जी.	बक्सर	गया (मानपुर)	मुरलीगंज	
हाजीपुर (सराय)			गढ़बनैली	
हाजीपुर (घोसवर)			किशनगंज पी.ई.जी.	
दरभंगा पी.ई.जी.			सहरसा	
झंझारपुर			नरपतगंज	
रक्सौल				

➢ **झारखंड राज्य अंतर्गत भंडारगृहों के नामः–**

राँची प्रमंडल				
पाकुड़	चतरा	दुमका	गिरीडीह	गोड्डा
लोहरदगा	बोकारो	गढ़वा	डाल्टेनगंज	सरायकेला

व्यवसाय / भौतिक उपलब्धि :–

बिहार राज्य भंडार निगम का खाद्यान्न के वैज्ञानिक एवं सुरक्षित भंडारण व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बिहार राज्य भंडार निगम अंतर्गत सम्प्रति 67 स्थानों पर भंडारगृह संचालित है जिसमें अधिकांश स्थान अर्थात 58 स्थानो पर भारतीय खाद्य निगम का खाद्यान्न भंडारित है। शेष स्थान पर राज्य खाद्य निगम एवं अन्य संस्थानों यथा केन्द्रीय भंडारण निगम, बी.एम.एस.आई.सी.एल, जनगणना, कॉम्फेड, हरित सब्जी प्रसंस्करण निगम एवं अन्य द्वारा उपयोगित है। इस निगम अन्तर्गत सम्प्रति कुल भंडारण क्षमता 8.33 लाख मे.टन है। इसके व्यवसाय एवं लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि रही है, जिसकी संक्षिप्त विवरणी निम्नवत् हैः–

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	भंडारण क्षमता (लाख मे.टन)	आभोग (लाख मे.टन)	आभोग प्रतिशत
1.	2021-22	8.37	7.60	91%
2.	2022-23	8.30	7.70	93%
3.	2023-24 (Dec 22)	8.17	7.13	87%

वित्तीय उपलब्धि :

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	लाभ (करोड़ रु0)
1.	2021-22	37.01
2.	2022-23	37.63
3.	2023-24 (Dec 22)	33.71

अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि :–

1) वित्तीय वर्ष 2021–22 में 50.00 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 में 1.00 करोड़ रूपया मुख्य मंत्री राहत कोष में अनुदान दिया गया है।

2) भारतीय खाद्य निगम के द्वारा आच्छादित सभी भंडारगृहों में Depot Online System (DOS) कंप्यूटर प्रणाली कार्यान्वित किया गया है, जो सुचारू रूप से कार्य कर रहा है।

3) बिहार राज्य भंडार निगम के गोदामों का Warehousing Development Regualtory Authority (WDRA) के अन्तर्गत निबंधन कार्य किया गया है। संप्रति WDRA के अंतर्गत निबंधित भंडारगृहों की संख्या 43 है।

4) रोजगार के अवसर/नई नियुक्तियों का विवरण : बिहार राज्य भंडार निगम के निदेशक पर्षद की दिनांक 22.12.2023 के कार्यक्रम संख्या–1 का क्रमांक–8 में अधीक्षक–I–9 पद, तकनीकी सहायक–15 पद, सहायक लेखापाल–3 पद, सहायक–II–24 पद एवं पी.सी.डी.ओ.–17 पद पर नियुक्ति करने की स्वीकृति दी गई है, जिसपर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

5) आधारभूत संरचनाओं का विकास : वर्ष 2023–24 में 10 स्थानों पर सड़क मरम्मति/जीर्णोधार, चाहरदीवारी निर्माण एवं कार्यालय भवन से संबंधित निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है एवं 22 स्थानों पर निविदा प्रकाशन के साथ अग्रेतर कार्रवाई प्रारम्भ की जा चुकी है।

6) नई परियोजनाएं/योजनाएं : सहकारिता विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त अनुदान राशि रू. 12,51,14,400/– से तीन स्थानों यथा मुरलीगंज (मधेपुरा)–5000 मे.टन, मालीघाट (मुजफ्फपुर)–4000 मे.टन तथा मसौढ़ी (पटना)–1500 मे.टन क्षमता का गोदाम निर्माण का कार्य कराया जायेगा।

7) प्रावैद्यिकी में नवाचार : बिहार राज्य भंडार निगम तकनीकी के नये आयामों पर अमल करते हुए दो महत्वपूर्ण ऑनलाईन प्रणालियों यथा DOS एवं e-bhandaran (WMS) के अंतर्गत भंडारण कार्यों को संचालित कर रहा है। केन्द्रीय भंडारण निगम के WMS ऑनलाईन प्रणाली को Customized कर e-bhandaran (WMS) के रूप में भंडारगृहों के सम्पूर्ण गतिविधियों को एक केन्द्रीकृत स्वचालित व्यवस्था के तहत संचालित करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य है। उक्त दोनों प्रणालियों के माध्यम से कृषि उत्पादों/अधिसूचित सामग्रीयों की प्राप्ति एवं निर्गमन, इनका भंडारण, छल्लीकरण, रासायनिक उपचार, विपत्र भुगतान, गुण नियंत्रण आदि गतिविधियों को स्वचालित रूप से संचालित किया जाता है एवं समय परक आंकड़े (Real Time Data) पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं निर्णय हेतु उपलब्ध होती है। e-bhandaran (WMS) के साथ Tally, Payment gateway, e-invoicing का integration हो चुका है। DOS एवं e-bhandaran (WMS) के साथ Weighbridge का integration छः स्थानों पर पूर्ण किया जा चुका है शेष स्थानों पर प्रक्रियाधीन है।

8. सहकारिता विभाग में आई०टी० का समावेश

I. बिहार राज्य सहकारिता बैंक :—

सीमित संसाधनों के बावजूद भी वर्तमान बैंकिग प्रतिस्पर्द्धा के युग में सहकारी बैंक अपने ग्राहकों को अन्य बैंकों की भाँति तकनीकी सुविधा उपलब्ध करा रहा है। राज्य के सभी सहकारी बैंक पूर्णतः सी॰बी॰एस॰ प्रणाली में कार्यरत है तथा अपने ग्राहकों को NIFT, RTGS, IMPS रूपे कॉर्ड तथा ए॰टी॰एम॰ आदि की सुविधा प्रदान कर रहा है। सहकारी बैंकों के माध्यम से राज्य में 136 ए॰टी॰एम॰ तथा 715 माईको ए॰टी॰एम॰ की स्थापना की जा चुकी है, शेष प्रक्रियाधीन है। ग्राहकों के बीच लगभग 2.16 लाख रूपे/के॰सी॰सी॰ कॉर्ड तथा खाताधारियों को 1.05 लाख ए॰टी॰एम॰ कॉर्ड वितरित किया गया है। मोबाईल ऐप के द्वारा घर बैठे अभिकर्ता के माध्यम से दैनिक जमा योजना के अन्तर्गत खाता में जमा का सुरक्षित संचालन किया जा रहा है। जमा राशि पर तत्काल 75% ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। दैनिक जमा योजना के संचालन के लिए 2000 अभिकर्ताओं की नियुक्ति की गई है। पैक्सों को भी पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत करने की योजना है, जिसके लिए नाबार्ड से भी वित्तीय सहायता प्राप्त होनी है। बिहार राज्य सहकारी बैंक लि० में तकनीकी कोषांग गठित किया जा रहा है, जो जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की तकनीकी समस्याओं का समाधान करेगा। ग्राहकों को पेमेन्ट वॉलेट, एवं नेट बैंकिंग आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराने के लिए बैंक तत्पर है। राज्य सहकारी बैंक से सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के साथ संचार व्यवस्था को सरल बनाने के उद्देश्य से विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग की व्यवस्था भी प्रक्रियाधीन है।

II. धान अधिप्राप्ति :—

प्रत्येक वर्ष सहकारिता विभाग के माध्यम से राज्य के किसानों से धान के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पैक्सों तथा व्यापारमंडलों द्वारा खरीदारी की जाती है। धान अधिप्राप्ति पैक्स तथा व्यापार मंडल द्वारा किसान से धान खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए तकनीक का समावेश किया गया।

परन्तु वर्ष 2015–16 से राज्य के किसानों से धान खरीदगी के लिए आधुनिकतम तकनीक का समावेश किया गया। राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (एन॰आई॰सी॰) के सहयोग से इस कार्य के लिए एक वेब एप्लीकेशन तथा मोबाईल एप्लीकेशन विकसित कराया गया तथा उसी वर्ष से मोबाईल के माध्यम से धान की खरीदगी शुरू की गई, जिस कारण इस व्यवस्था में काफी पारदर्शिता आई। धान खरीदारी के पूर्व किसानों का ऑनलाईन निबंधन कराकर उनके क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत पैक्स/व्यापारमंडल को उनसे टैग किया गया तथा निर्धारित तिथि को उनसे धान क्रय करने के लिए उक्त संबंधित पैक्स में निबंधन के अनुसार रोस्टर तैयार किया गया। इसके परिणाम स्वरूप राज्य के किसानों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान 48 घंटे के भीतर PFMS के माध्यम से सीधे संबंधित किसान के खाते में किया जा रहा है। उक्त सभी क्रिया–कलापों पर मुख्यालय, जिला तथा प्रखंड स्तर से ऑनलाईन अनुश्रवण किया जा रहा है। सारे प्रतिवेदनों को रियल टाईम में उपलब्ध कराया जा रहा है। इस संबंध में किसानों को आ रही समस्याओं के ऑनलाईन निराकरण के लिए हेल्प लाईन नम्बर तथा ई–मेल उपलब्ध कराया गया है, जिस पर किसानों की समस्याओं का निराकरण ऑनलाईन ही किया जा रहा है।

III. पैक्सों में सदस्यता हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया :–

पंचायत स्तर पर गठित पैक्स ग्रामीण विकास की धूरी हैं। कृषि प्रधान आर्थिक व्यवस्था के समग्र विकास के लिए आवश्यक है कि सभी इच्छुक किसान पैक्स का सदस्य बने। पैक्स की सदस्यता को सुगम बनाने के लिए सहकारिता विभाग की तरफ से ऑनलाईन ऐप्प विकसित कर क्रांतिकारी पहल की गई है।

राज्य में कुल 8463 पैक्स हैं। चूँकि पैक्स ग्रामीण विकास की धूरी है, अतः आवश्यक है कि पैक्स के सदस्य बनने की प्रक्रिया सहज हो तथा पुरी प्रक्रिया का विभागीय स्तर पर अनुश्रवण किया जा सके। पैक्सों में ऑनलाईन सदस्यता दिलाने हेतु विभाग के पहल पर राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (एन॰आई॰सी॰) के सहयोग से पैक्सों में सदस्यता हेतु ऑनलाईन पद्धति से पैक्स में सदस्यता आवेदन देने की व्यवस्था लागू करने के लिए एक वेब एप्लीकेशन विकसित कराया गया जिसका लोकापर्ण 05 सितम्बर 2017 से पूरे राज्य में माननीय मंत्री सहकारिता द्वारा किया गया। इस साफ्टवेयर के माध्यम से कोई भी वैध पात्र, निर्धारित समय–सीमा के अन्दर अपने पंचायत क्षेत्रान्तर्गत पैक्स में सदस्यता पा सकता है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी क्रिया–कलापों पर मुख्यालय तथा जिला स्तर से ऑनलाईन अनुश्रवण किया जा रहा है। किसानों को सदस्यता हेतु आवेदन देने में किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के कार्यालय में कम्प्यूटर तथा प्रिन्टर के साथ कार्यपालक सहायक उपलब्ध कराया गया है।

IV. बिहार राज्य फसल सहायता योजना :–

बिहार राज्य फसल सहायता योजना राज्य के किसानों को फसल में हुई क्षति की भरपाई करने हेतु खरीफ तथा रबी के फसल के लिए रैयत एवं गैर–रैयत तथा दोनो प्रकार के किसानों के लिए वर्ष 2018 से राज्य में लागू की गई है। इसके लिए राज्य के दोनों प्रकार के कृषको से प्रीमियम मद में कुछ भी राशि देय नहीं होती है। इसके अन्तर्गत सर्वप्रथम किसानों को कृषि विभाग के किसान निबंधन संख्या के द्वारा विभागीय पोर्टल पर निबंधन कराना होता है, तदोपरान्त इससे संबंधित मूलभूत जानकारियों को पोर्टल पर अपलोड करना होता है। उसके बाद इस प्रकार प्राप्त आवेदनों को संबंधित जिला एवं प्रखंड स्तर पर विभागीय पदाधिकारियों द्वारा प्राप्त आवेदनों का ऑनलाईन मोबाईल एप्प द्वारा सत्यापन कराया जाता है। उसके बाद अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा प्राप्त उक्त वर्ष फसल कटनी आकंड़ों के आधार पर संबंधित क्षेत्र में हुई फसल की क्षति का आकलन साफ्टवेयर के माध्यम से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा किया जाता है तथा उक्त क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर हुई फसल क्षति पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार मानदेय को ऑनलाईन सीधे निबंधित किसान के बैंक खातें में DBT के माध्यम से भुगतान कर दिया जाता है।

NIC के तकनीकी सहयोग से विकसित बिहार राज्य फसल सहायता योजना पोर्टल को कम्प्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा E–Governance के लिए award of excellence प्रदान किया गया।

V. मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना :–

राज्य के सभी 8463 पैक्सों में केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, (NCDC) नई दिल्ली द्वारा वित्तीय सहायता के आधार पर सम्पोषित ''मुख्यमंत्री हरित कृषि संयत्र योजना'' लागू की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक पैक्स को कृषि सयंत्र क्रय करने हेतु अधिकतम 15,00,000 (पन्द्रह लाख) रुपये उपलब्ध कराया जाता है। इस हेतु सभी इच्छुक पैक्सों को ऑनलाईन भारत सरकार द्वारा निर्मित GEM पोर्टल पर निबंधन करा कर चयनित कृषि सयंत्र को GEM पोर्टल पर BID द्वारा क्रय किया जा रहा है। इस योजना के तहत क्रय तथा

भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु पूर्ण रुप से ऑनलाईन है। इसके लिए विभाग द्वारा मोबाईल ऐप भी विकसित किया गया है।

VI. पैक्सों का कम्प्यूटरीकरण योजना :–

पैक्सों में समान लेखा प्रणाली (CAS) लागू है। CAS को सुगम बनाने तथा समितियों के कामकाज में पारदर्शिता तथा एकरूपता लाने के उद्देश्य से पैक्सों के कम्प्यूटरीकण की योजना है। इस योजना के तहत चयनित पैक्सों को कम्प्यूटर सेट उपलब्ध कराया जाएगा। पैक्सों के कार्यकलापों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर से संचालन करना होगा।

VII. सहकारी समितियों का निबंधन :–

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1996 के तहत सहकारी समितियों के निबंधन हेतु On-Line आवेदन की प्राप्ति एवं Online निष्पादन की सुविधा विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया है। इसके लिए सहकारी समिति गठित करने हेतु इच्छुक व्यक्ति सहकारिता विभाग, बिहार के अधिकारिक बेवसाइट Cooperative.bih.nic.in पर जाकर अपना User ID एवं पासवर्ड बनाने के पश्चात् सहकारी समिति के निबंधन हेतु आवेदन एवं अन्य कागजात Online समर्पित कर सकते है। निबंधन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात् समिति का निबंधन प्रमाण पत्र अथवा निबंधन अस्वीकृति की दशा में अस्वीकृति पत्र आवेदक Online विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते है।

VIII. अंकेक्षण :–

समिति के अंकेक्षण को पारदर्शी बनाने के लिए अंकेक्षण की प्रक्रिया को Online कर दिया गया है। Online Audit app के माध्यम से समितियों से संबंधित डाटा एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन अपलोड कराया जा रहा है। जिससे समितियों की आर्थिक स्थिति का प्रभावी अनुश्रवण तथा अंकेक्षण में पारदर्शिता लाया जा सकेगा।

IX. CCMS (Court Cases Monitoring System) -

माननीय न्यायालय से संबंधित वादों का अनुश्रवण CCMS के माध्यम से किया जा रहा है।

X. CCIS (Court Cases Information System) -

न्यायालय निबंधक, सहयोग समितियाँ के वादों से संबंधित कार्य CCIS के माध्यम से किया जा रहा है।

परिशिष्ट – I

विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियाँ

- सहकारिता आन्दोलन के क्रम में सहकारी समितियों की संगठनात्मक संरचना त्रिस्तरीय यथा शीर्ष (Apex), केन्द्रीय एवं प्राथमिक है।
- समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अलग–अलग उद्देश्यों के अनुरूप साख (Credit) एवं गैर–साख (Non-Credit) सहकारी समितियाँ शहरों एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रो मे गठित है।
- कृषि साख की सुविधा हेतु राज्य स्तरीय बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰ एवं पंचायत स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समिति गठित है।
- कृषि उत्पाद का पणन एवं भंडारण के निमित पणन सहकारी समितियाँ तथा उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु उपभोक्ता भंडार गठित है।
- कृषि के क्षेत्र में व्यवसायिक दृष्टिकोण के उद्देश्य से दुग्ध उत्पादक, कुकुटपालन आदि समितियाँ गठित हैं।
- श्रमिकों के हितार्थ श्रमिक सहकारी समितियाँ गठित हैं।
- रोजगार पूरक के रूप में चर्मकार, अद्योगिक, नाव यातायात, परिवहन आदि समितियाँ गठित हैं।
- सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी तथा विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के बचत भावनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बचत एवं साख सहकारी समितियाँ गठित है।
- बुनकरों के हितार्थ बुनकर सहकारी समितियाँ गठित है तथा राज्य के कमजोर वर्ग धुनियाँ, रंगरेज एवं दर्जी के कल्याणार्थ राज्य स्तर पर ''धुरद'' शीर्ष सहकारी संस्थान भी गठित है।
- समाज के सबसे कमजोर वर्ग महिलाओं के हितार्थ महिला सहकारी समिति भी प्राथमिक स्तर पर गठित है।
- मत्स्य विकास की अपार सम्भावनाओं के मद्देनजर जलकरों की बन्दोवस्ती परम्परागत मछुआरों के साथ करने के उद्देश्य से पूर्व से सहकारी समिति अधिनियम, 1935 एवं स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के तहत् गठित मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को पुनर्गठित कर सहकारी समिति अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियाँ भी गठित हैं।

परिशिष्ट – II

राज्य में निबंधित सहकारी समितियों की संख्या :–

1.	प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स)	–	8463
2.	व्यापार मंडल सहयोग समिति	–	523
3.	प्राथमिक विपणन सहयोग समिति	–	25
4.	सहकारी उपभोक्ता भंडार	–	823
5.	प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति	–	514
6.	बचत एवं साख सहयोग समिति	–	206
7.	गृह निर्माण सहयोग समिति	–	2193
8.	औद्योगिक सहयोग समिति	–	1218
9.	कृषि एवं एलायड सहयोग समिति	–	1719
10.	कुकुटपालन सहयोग समिति	–	66
11.	शिक्षण एवं प्रशिक्षण सहकारी समिति	–	09
12.	श्रमिक सहकारी समिति	–	837
13.	जूट एवं कॉयर सहकारी समिति	–	06
14.	महिला विकास सहयोग समिति	–	1282
15.	बुनकर सहयोग समिति	–	651
16.	प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादक समितियाँ	–	300
17.	बहुधंधी सहयोग समिति	–	137
18.	चीनी मिल सहयोग समिति	–	35
19.	दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	–	7662
20.	पर्यटन सहयोग समिति	–	05
21.	जनजातीय सहयोग समिति	–	09
22.	अर्बन को–ऑपरेटिव बैंक	–	02
23.	परिवहन सहयोग समिति	–	84
24.	सर्वोदय सहयोग समिति	–	54
25.	प्राथमिक मधुमक्खी पालन शहद उत्पादक प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति लि0	–	124
26.	अन्य प्रकार के सहयोग समिति	–	47
			26994

(नोटः– पैक्स, व्यापार मंडल एवं मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को छोड़कर अन्य प्रकार की कुछ समितियाँ मृत प्रायः है जिसे परिसमापित किया जा रहा है।)

परिशिष्ट – III

गोदाम निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई राशि की समितियों की संख्या :–

क्र0 सं.	जिला का नाम	2010–11	2011–12	2012–13			2013–14		2014–15		2015–16		2016–17		2017–18
				1000	500	200	200	500	200	500	200	500	200	500	200
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1	बांका	2	20	2		20	12		12		28	2	7		11
2	भागलपुर		2	2	2	19	4		33		6		12	1	8
3	समस्तीपुर	3		3	6	50	45		38	2	32	3	13		20
4	दरभंगा			3	1	3	30		34	4	16	1	12		7
5	मधुबनी			7	4	33	31		21		2		17		
6	गया					32	86	9	42	5	13		10	1	12
7	नवादा	2		2		30	60				17	6	11		4
8	औरंगाबाद	1	38	12	10	67	20		29						
9	जहानाबाद					15	17		31	6					
10	अरवल			2	2	12			6				7		7
11	लखीसराय	5	3	1		11			10	3	3		2		2
12	बेगूसराय		5	2	4	24	10		7		26	3	5		
13	मुंगेर					27			4		1		7		1
14	जमुई			2	7	8	37		37	3	9		4		4
15	शेखपुरा			1		18	1		3	3	7		1		2
16	खगड़िया			2					11		2	1	5		
17	सीवान	20		2	4	20	51		9		10		8		13
18	गोपालगंज	4			5	20			34		1		4		6
19	सारण		8		2	17		3	3	1	8		20		25
20	रोहतास	10	16	5		40	76	4	1	2	16	8	14		11
21	भोजपुर	6	9	4		30		2	8	4	8	1	6		8
22	पटना	19		1	1	50	32	1	10		18	4	13		23
23	कैमूर	12			1				8		45	5	5		3
24	नालन्दा	8		8	2			2	1	1			7		14
25	बक्सर		3		1	28	45		2				5		
26	मुजफ्फरपुर	15	7	4	7	53	53	6	7		14		16		11
27	बेतिया	11		6		20	39	5	1	10	1		10		
28	वैशाली	2		3	1				5	2	37	2	5		33
29	मोतिहारी			5	1	20	24				3	1	26		2

30	सीतामढ़ी			1		20	22	1	33	2	52	3	4		7
31	शिवहर				1				3		22	1			
32	सुपौल		8	4	2	21	47	2	14	1	7	1	4		6
33	मधेपुरा			3	3	20	19	3	11	1	1		7		15
34	सहरसा			1		11	55			1			6	1	11
35	पूर्णियाँ		12	5	1	20	20						9		
36	अररिया			3	2	20	6		52	4			5		5
37	कटिहार			2	1	10	25	2	15				11		1
38	किशनगंज			2	7	30	17						3		5
	कुल	120	131	100	78	819	884	40	535	55	405	42	301	3	277

क्र0 सं॰	जिला का नाम	2018—19			2019—20			2021—22			2022—23			कुल
		1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	1000	500	200	
1	*2*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*
1	बांका			7		2	3	1			18	3	4	154
2	भागलपुर			10							2	4	1	106
3	समस्तीपुर	1	1	25	4		1	4			9	3	1	264
4	दरभंगा													111
5	मधुबनी		6	25		2	4		4		3	1	1	161
6	गया		3	2				4	15		1	5	2	242
7	नवादा			3			2				32	4	1	174
8	औरंगाबाद							7	4		2	1		191
9	जहानाबाद													69
10	अरवल			3			3							42
11	लखीसराय		3	7				3	6		6		1	66
12	बेगूसराय								1					87
13	मुंगेर			8		1		3	4					56
14	जमुई		2	11							11	6		141
15	शेखपुरा		1	1										38
16	खगड़िया		1	1	1	1								25
17	सीवान		2	19		1	7				1	8		175
18	गोपालगंज		1	12					8		2	2	3	102
19	सारण		7	9		3	4	2	5					117
20	रोहतास	1	5	6		7		2	18		5	5		252
21	भोजपुर		1	9									5	101

22	पटना	3	6	15	1	2	2	10	6		1			218
23	कैमूर	5	13	8	1		1	16	24		22	14		183
24	नालन्दा		1	7		2	3					7	2	65
25	बक्सर		3	2										89
26	मुजफ्फरपुर	6	4	13	2	2	4	8	6		4		7	249
27	बेतिया							1			2	6		112
28	वैशाली	5	1		3	2		3	1		3		2	110
29	मोतिहारी			3	1	1	1		2					90
30	सीतामढ़ी		2	14	1	3			1		1	1		168
31	शिवहर				4									31
32	सुपौल	5	1	8				10	2		6	5	7	161
33	मधेपुरा	1	5	2	2			6	8		4	3		114
34	सहरसा	5	11	11	2	4		12	4		10			145
35	पूर्णियाँ				3			2			1			73
36	अररिया			9	2	3		1	1		1		1	115
37	कटिहार	1	2	16				1	4		3	3		97
38	किशनगंज			8				2	2		4	2	1	83
	कुल	33	82	274	27	36	35	98	126	0	154	83	39	4777

चावल मिल.सह.गैसीफायर एवं विद्युत आधारित चावल मिल (2MT) निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई राशि की समितियों की संख्या

क्रम	जिला	2008-09	2010-11	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17	2017-18	2018-19	2020-21	कुल
				पैक्स	व्यापार मंडल	पैक्स	व्यापार मंडल	पैक्स	व्यापार मंडल	पैक्स	व्यापार मंडल	पैक्स/ व्यापार मंडल	पैक्स/ व्यापार मंडल	पैक्स/ व्यापार मंडल	पैक्स/ व्यापार मंडल	
1	बाँका	1	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	5	-	1	**13**
2	भागलपुर	2	2	2	1	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	**13**
3	समस्तीपुर	-	2	2	-	3	1	-	-	3	1	-	6	-	1	**19**
4	दरभंगा	-	1	1	1	2	-	3	1	1	-	-	2	-	1	**13**
5	मधुबनी	-	1	1	1	4	1	1	-	1	-	-	2	-	1	**13**
6	गया	2	2	2	-	3	-	1	-	-	2	-	7	-	2	**21**
7	नवादा	1	1	1	-	-	-	-	-	6		-	2	-	1	**12**
8	औरंगाबाद	3	6	7	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	1	**27**
9	जहानाबाद	1	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	**7**
10	अरवल	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	**5**
11	लखीसराय	-	3	1	-	2	-	1	-	3	-	-	1	-	1	**12**
12	बेगूसराय	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	**5**
13	मुंगेर	-	-	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	**7**
14	जमुई	-	-	2	-	4	1	-	3	2	-	-	2	-	1	**15**
15	शेखपुरा	-	-	2	-	3	1	-	-	3	-	-	-	-	1	**10**
16	खगड़िया	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	**4**
17	सीवान	3	4	2	-	3	1	-	-	2	-	-	1	-	1	**17**
18	गोपालगंज	-	-	3	-	4	-	3	-	-	-	-	4	-	1	**15**
19	सारण	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-	5	-	1	**11**
20	रोहतास	2	3	5	1	3	-	14	3	16	5	-	6	-	1	**59**
21	भोजपुर	1	1	2	-	4	-	-	-	-	-	-	7	-	-	**15**
22	पटना	3	2	1	-	-	-	1	-	3	-	-	7	-	2	**19**
23	कैमूर	2	4	1	-	1	-	6	-	5	-	-	6	-	2	**27**
24	नालन्दा	-	3	6	1	4	-	5	-	-	-	-	5	-	-	**24**
25	बक्सर	2	4	2	1	2	1	4	-	-	-	-	-	1	-	**17**
26	मुजफ्फरपुर	3	1	2	-	4	-	-	-	3	-	-	2	-	1	**16**

27	बेतिया	1	4	2	1	2	-	6	-	-	-	-	-	1	-	**17**
28	वैशाली	2	3	3	-	2	-	-	-	4	-	-	-	-	1	**15**
29	मोतीहारी	3	1	3	-	2	-	1	-	-	-	-	4	-	2	**16**
30	सीतामढ़ी	2	3	1	-	-	-	3	-	5	-	-	-	-	1	**15**
31	शिवहर	-	-	1	-	3	-	1	-	3	-	-	-	-	1	**9**
32	सुपौल	1	1	1	-	1	1	3	1	5	-	-	3	-	1	**18**
33	मधेपुरा	-	2	2	-	5	-	1	-	-	-	-	2	-	2	**14**
34	सहरसा	-	-	1	-	3	-	2	-	-	-	-	2	-	-	**8**
35	पूर्णियाँ	-	1	2	1	3	1	-	1	-	-	-	2	-	1	**12**
36	अररिया	-	-	2	-	3	-	2	-	5	1	-	3	-	1	**17**
37	कटिहार	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	**8**
38	किशनगंज	2	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	**8**
	कुल	**40**	**58**	**73**	**10**	**94**	**11**	**60**	**9**	**74**	**11**	**0**	**93**	**6**	**34**	**573**

परिशिष्ट – IV

(विभाग की सांगठनिक एवं प्रशासनिक संरचना)

सहकारिता विभाग का निम्न स्वरूप है जिनके अन्तर्गत सचिवालय एवं निदेशालय क्रमशः प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग एवं निबंधक, सहयोग समितियाँ के अन्तर्गत पृथक–पृथक कार्यरत है।

निम्नांकित चार्ट से संगठनात्मक स्वरूप परिलक्षित होगा :–

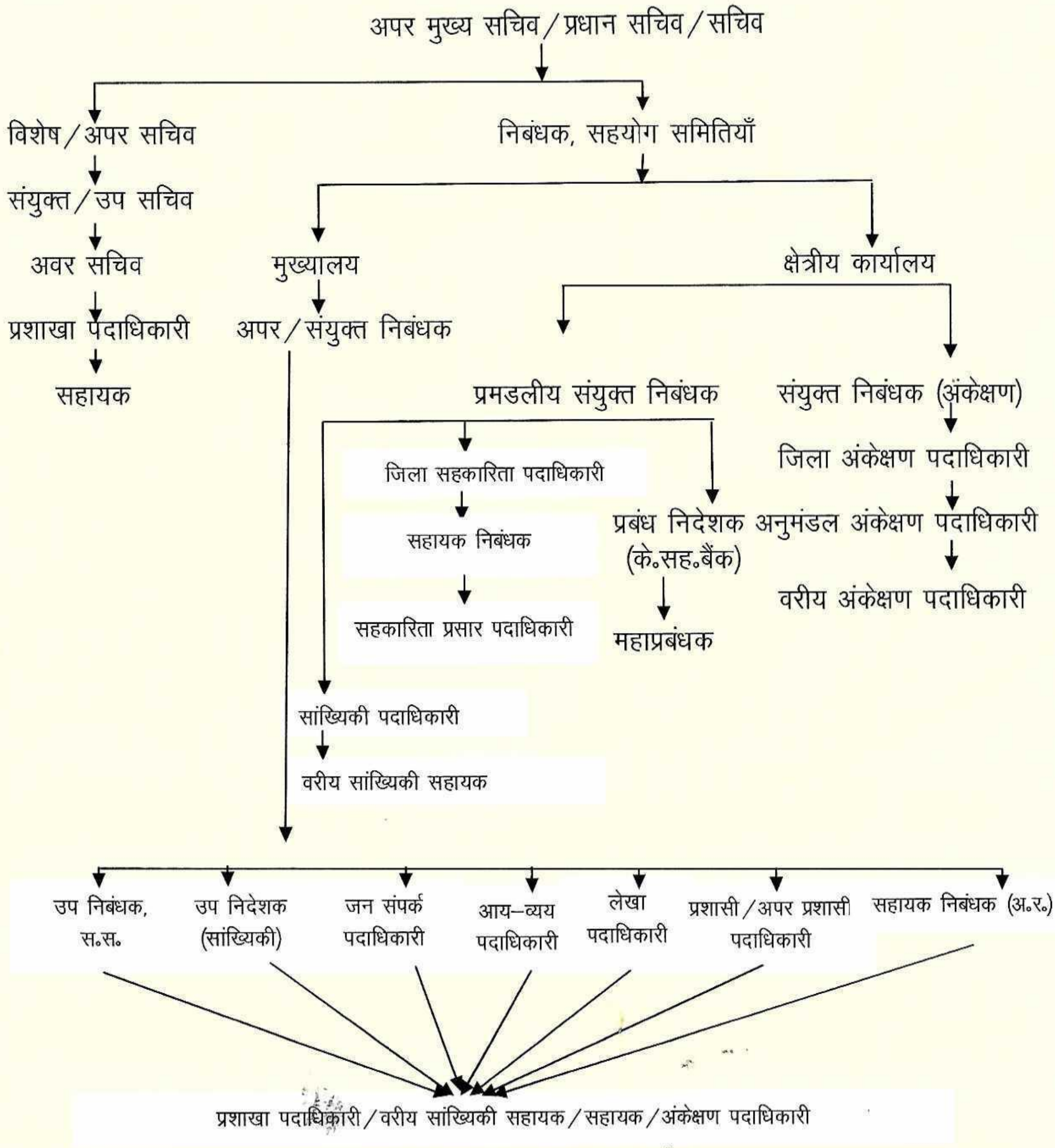

परिशिष्ट – V

सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत प्रमंडल स्तर पर संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंकेक्षण), जिला स्तर पर जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी तथा अनुमंडल स्तर पर सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के कार्यालय हैं।

प्रमंडलवार कार्यालयों का विवरण निम्नांकित हैं :–

प्रमंडल	जिला सहकारिता पदाधिकारी का कार्यालय	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ का कार्यालय	प्रमंडल	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का कार्यालय
1	2	3	4	5
1. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना	1. पटना	1 पटना सदर 2. बाढ़ 3. पटनासिटी 4. दानापुर 5. मसौढ़ी	1. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना	1. पटना
	2. नालन्दा	6. बिहारशरीफ 7. हिलसा		2. नालंदा
	3. भोजपुर	8. आरा		3. भोजपुर 4. बक्सर
	4. बक्सर	9. बक्सर 10. डुमराँव		
	5. रोहतास	11. सासाराम 12. बिक्रमगंज		5. रोहतास 6. कैमूर
	6. कैमूर	13. कैमूर		
2. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया	7. गया	14. गया 15. शेरघाटी	.2. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया	7. गया 8. जहानाबाद 9. अरवल
	8. जहानाबाद	16. जहानाबाद		
	9. अरवल	17. अरवल		
	10. औरंगाबाद	18. औरंगाबाद		10. औरंगाबाद
	11. नवादा	19. नवादा		11. नवादा
3. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	12. मुजफ्फरपुर	20. मुजफ्फरपुर पूर्वी 21. मुजफ्फरपुर पश्चिमी	3. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	12. मुजफ्फरपुर
	13. वैशाली	22. हाजीपुर		13. वैशाली
	14. सीतामढ़ी	23. सीतामढ़ी 24. पुपरी		14. सीतामढ़ी 15. शिवहर
	15. शिवहर	25. शिवहर		
	16. मोतिहारी	26. मोतिहारी 27. सिकरहना		16. मोतिहारी
	17 बेतिया	28. बेतिया 29. बगहा		17. बेतिया
4. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा	18. दरभंगा	30. दरभंगा 31. बेनीपुर	4. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा	18. दरभंगा
	19. मधुबनी	32. मधुबनी 33. झंझारपुर 34. बेनीपट्टी		19. मधुबनी
	20. समस्तीपुर	35. समस्तीपुर 36. दलसिंहसराय 37. रोसड़ा 38. पटोरी		20. समस्तीपुर
5. संयुक्त निबंधक,	21. सारण	39. छपरा	5. संयुक्त निबंधक	21. सारण

सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा		40. सोनपुर	(अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा	
	22. सिवान	41. सिवान		22. सिवान
	23. गोपालगंज	42. गोपालगंज		23. गोपालगंज
6. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल, भागलपुर	24. भागलपुर	43. भागलपुर 44. नवगछिया	6. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर	24. भागलपुर 25. बांका
	25. बांका	45. बांका		
	26. मुंगेर	46. मुंगेर		26. मुंगेर 27. जमुई 28. शेखपुरा 29. लखीसराय
	27. जमुई	47. जमुई		
	28. शेखपुरा	48. शेखपुरा		
	29. लखीसराय	49. लखीसराय		
	30. बेगूसराय	50. बेगूसराय		30. बेगूसराय
	31. खगड़िया	51. खगड़िया		31. खगड़िया
7. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमंडल, सहरसा	32. सहरसा	52. सहरसा 53. बीरपुर 54. त्रिवेणीगंज	7. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, सहरसा एवं पूर्णियाँ प्रमंडल, सहरसा	32. सहरसा 33. सुपौल 34. मधेपुरा
	33. सुपौल	55. सुपौल		
	34. मधेपुरा	56. मधेपुरा 57. उदाकिशनगंज		
8. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ	35. पूर्णियाँ	58. पूर्णियाँ		35. पूर्णियाँ 36. अररिया 37. किशनगंज
	36. अररिया	59. अररिया		
	37. किशनगंज	60. किशनगंज		
	38. कटिहार	61. कटिहार		38. कटिहार

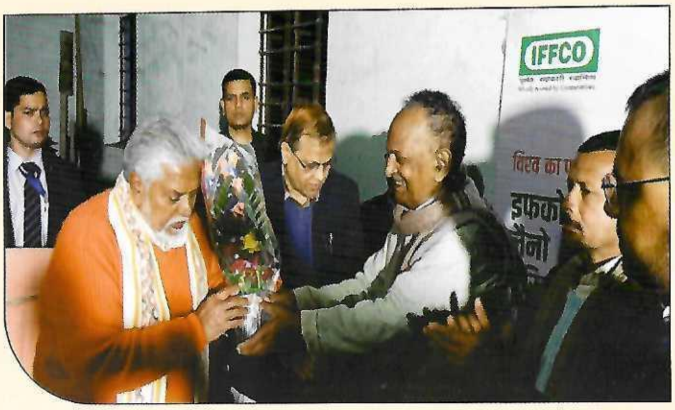
IFFCO

बिहार सरकार

सहकारिता विभाग

Printed at : Indian Arts Offset, Basement of S.B.I., Mahendru, Patna - 6
(M) 7257887860, 9431011172, Email : indianartsoffset@yahoo.com,
indianartsoffsetgstit@gmail.com